










## અમૃત વિચાર

## અમૃત વિચાર

## અમૃત વિચાર

## અમૃત વિચાર

**अयोध्या, अमृत विचार :** अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण समावेश पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजर रही। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने ही आभारी सीएम ने मह छाप रा। शोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफार्म एक्स (फहले ट्वीटर) पर दिन भर हैशटैग अयोध्या व हैशटैग श्रीराम ट्रेंड करता रहा। यही नहीं अन्य प्लेटफार्म पर भी ध्वजारोहण की तस्वीरें छाई रहीं। वाट्सएप ग्रुपी से लेकर फेसबुक पेज पर सिकं राम मंदिर की ही चर्चा रही।



**- सभी फोटो शभांकर चक्रवर्ती और पञ्चांत शेखर**

**अयोध्या, अमृत विचार :** अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण समावेश पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजर रही। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने ही आभारी सीएम ने मह छाप रा। शोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफार्म एक्स (फहले ट्वीटर) पर दिन भर हैशटैग अयोध्या व हैशटैग श्रीराम ट्रेंड करता रहा। यही नहीं अन्य प्लेटफार्म पर भी ध्वजारोहण की तस्वीरें छाई रहीं। वाट्सएप ग्रुपी से लेकर फेसबुक पेज पर सिकं राम मंदिर की ही चर्चा रही।



# राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं : मोदी

## भारत के सामूहिक सामर्थ्य की चेतना स्थली बन रहा राम मंदिर का दिव्य प्रांगण

● अयोध्यावासियों के जीवन में समृद्धता के लिए चल रहा काम

अयोध्या कार्यालय

**अमृत विचार :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें मोक्ष नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी इसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। वह मंगलवार को श्रीरामजन्म भूमि परिसर स्थित मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए समाज की सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की चेतना स्थली



प्रधानमंत्री मोदी को रामलला की प्रतिमा भेंट करते मुख्यमंत्री। साथ में मौजूद राज्यपाल।

बन रहा है। यहां सप्त मंदिर, मां शबरी, निषादराज गुह्य का भी मंदिर है। यहां एक ही स्थान पर मां अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और संत तुलसीदास हैं। रामलला के साथ-साथ इन ऋषियों के भी दर्शन यहीं होते हैं। जटायु व गिलहरी की मूर्ति भी बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे

प्रयास के महत्व को दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा कि यह मंदिर आस्था के साथ मित्रता, कर्तव्य व सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को शक्ति देते हैं। हमारे 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े, आदिवासी, वैचित, किसान, श्रमिक, युवा हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, वर्ग, क्षेत्र सशक्त होगा, तब

**श्रीराम के व्यवहार को करना होगा आत्मसात**

पीएम ने कहा हमें राम व उनके व्यक्तित्व को सीखना होगा। उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य-पराक्रम का संगम। राम यानी धर्मपथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी ज्ञान व विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता में दृढ़ता, राम यानी कृतज्ञता का उदाहरण, राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, राम यानी विनम्रता में महाबल, राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, राम यानी जागरूक, अनुशासित व निष्कपट मन। राम सिर्फ व्यक्ति नहीं, राम मूल्य है, मर्यादा है।

संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब सबके प्रयास से ही हमें विकसित भारत का निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि रामपथ, भक्तिपथ व जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत-अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को देश की अन्य जगहों से जोड़ रही

है। अयोध्यावासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। सबसे प्राण-प्रतिष्ठा हुई है, तबसे आज तक करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। इससे अयोध्या व आसपास के लोगों की आय में वृद्धि हुई है। विकास के पैमाने में अयोध्या कभी बहुत पीछे थी, लेकिन आज यूपी के अग्रणी शहरों में एक है।



रामपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अभिवादन प्रस्तुत करतीं कलाकार।

अमृत विचार

**पीएम ने संबोधन में कहे रामचरितमानस के 26 श्लोक**

**अयोध्या, अमृत विचार :** राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने के बाद पीएम ने अपने संबोधन में रामचरितमानस की 26 श्लोक का जिक्र किया। काशी के मुख्य आचार्य गणेश्वर शास्त्री गजानन ज्योतकर सतीश ने बताया कि पीएम ने देश को संदेश देने का काम किया है। इन श्लोक के मंत्रों से एक समुचित समाज को जोड़ने का प्रयास है। आचार्य संदीप शर्मा ने बताया रामचरितमानस में भी लिखा है कि मंदिर के शिखर पर स्थापित ध्वज के दर्शन मात्र से भगवान के दर्शन करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। जिसके बारे में भी प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में किया है।

## धर्म ध्वजारोहण के साक्षी बने 161 वनवासी संत

**अयोध्या, अमृत विचार :** राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रांतों से 161 वनवासी संंतों को आमंत्रित किया गया। अयोध्या प्रांत व अयोध्या धाम के धर्माचार्य च विशिष्ट धर्माचार्यों को जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या 500 के ऊपर ही रही। विभिन्न प्रांतों से आमंत्रित वनवासी संंतों में चितुर, दक्षिण बंग, बंसवरा परियोजना, छत्तीसगढ़, दक्षिण कर्नाटक, देवगिरी, उत्तर कर्नाटक, विदर्भ, महाकोशल, मालवा, मेरठ, पश्चिम महाराष्ट्र, त्रिपुरा, गुजरात दक्षिण, गुर्जर परियोजना व हरियाणा के हैं। इनमें 14 मालवा, 12 गुजरात दक्षिण एवं 11 दक्षिण कर्नाटक के भी समारोह में

मौजूद रहे। अयोध्या के धर्माचार्यों में महापौर गिरिशपति त्रिपाठी के अलावा अन्य विशिष्ट धर्माचार्यों में डॉ. भरतदास महाराज, महंत जगन्नाथदास महाराज, बलरामदास महाराज, मुरलीदास महाराज, प्रेममूर्ति कुष्णकांतदास महराज, आशीषदास वेदांती, विश्वेश प्रपन्नाचार्य महाराज , वैदहीवल्लभशरण महाराज, प्रियाप्रीतम शरण महाराज, वैदेही शरण महाराज, महंत पवन कुमार दास, सियाकिशोरी शरण, मिथिलानंदिनी शरण, रामानुज शरण महाराज, महंत धर्मदास महाराज, शशिकांतदास महाराज, जगदगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य व जगदगुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य रहे।

## आस्था व अर्थव्यवस्था के नए युग में प्रवेश कर चुकी है रामनगरी : योगी

अयोध्या कार्यालय

**अमृत विचार :** सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा रामलला की नगरी आस्था व आधुनिकता के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। वह मंगलवार को श्रीरामजन्मभूमि परिसर में धर्म ध्वजारोहण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

कहा यहां बेहतर कनेक्टिविटी है। धर्मपथ, रामपथ, भक्ति पथ, पंचकोसी और 14 कोसी के साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालुओं व भक्तों को नया मार्ग व आस्था को नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम में आस्था, आधुनिकता, आस्था और अर्थव्यवस्था का नया केंद्र दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है। रामराज्य के मूल्य कालजयी हैं। पीएम मोदी ने 2014 में जब नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि-कोटि भारतवासियों के मन और हृदय में जिस संभावना, संकल्प व विश्वास का सूर्योदय हुआ, आज वही तपस्या, अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार होकर भव्य राम

## आज हम सबके लिए सार्थकता का दिवस : मोहन भागवत

अयोध्या कार्यालय

**अमृत विचार :** श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए सार्थकता का दिवस है। कृतार्थता का दिवस है। आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। कहा कि जितने लोगों ने सपना देखा, प्रयास किए, प्राण अर्पित किए, आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। अशोक सिंघल जी को शांति मिली होगी।

उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष पंचमी पर मंगलवार को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर अयोध्या धाम सहित संपूर्ण विश्व प्रभु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पूर्णत्व का साक्षी बना है। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, डालमिया जी समेत कितने ही संत, गृहस्थ एवं विद्यार्थियों ने प्राणापण किया, पसीना बहाया।

उन्होंने कहा कि जो पीछे रहे, वे भी यही इच्छा व्यक्त करते थे कि मंदिर बनेगा जो अब बन गया है। आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ध्वजारोहण भी हो गया। निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक व पूर्णत्व का क्षण है।

**भारतवर्ष के लोगों से दुनिया सीखे जीवन जीने का तरीका:** आरएसएस सर संचालक ने कहा, “एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः” अर्थात् इस

## प्रसाद में दिया देशी घी का लड्डू, इलाइची दाना और अंगवस्त्र

**अयोध्या, अमृत विचार :** राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने आए लगभग 7500 अतिथियों के साथ 2500 से अधिक कार्यकर्ताओं व अधिकारियों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा विशेष प्रसाद दिया गया। हनुमानगढ़ी के राजुरी रमेश दास ने बताया कि पुनर्लला के प्रसाद में जूट के थैले में विशेष लड्डू, इलाइची दाना, रामनामी वस्त्र के साथ एक ध्वज का चिन्ह प्राप्त हुआ है। डॉ. वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि सुबह से लुग्न इस कार्यक्रम शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसलिए प्रसाद के रूप में लंच पैकेट और पानी की बोतल भी प्राप्त हुई है।



ध्वजारोहण समारोह में अतिथियों को संबोधित करते आरएसएस प्रमुख।

अमृत विचार

**अमृत विचार :** श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए सार्थकता का दिवस है। कृतार्थता का दिवस है। आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। कहा कि जितने लोगों ने सपना देखा, प्रयास किए, प्राण अर्पित किए, आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। अशोक सिंघल जी को शांति मिली होगी।

**प्रतीक चिह्नों से सीखें सत्पुरुष का कर्तव्य**
डॉ. भागवत ने कहा कि इस धर्म ध्वज पर कोविदार का प्रतीक रघुकुल की परंपरा से जुड़ा है। यह कचनार जैसा लगता है। यह मंदार व पारिजात दोनों वृक्षों के गुणों का संयुक्त रूप है। वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहकर सबको छाया देते हैं, फल देते हैं। “वृक्षाः सत्पुरुषाः इव” अर्थात् वृक्ष सत्पुरुषों के समान हैं। यदि ऐसा जीवन जीना है तो चाहे कितनी प्रतिकूलता हो, साधनहीनता हो, दुनिया स्वार्थ में बहती हो फिर भी हमारा संकल्प है कि हमें धर्म के पथ पर चलना है। भागवत बोले, कचनार के औषधीय गुण हैं, खाद्य उपयोग में भी आता है। सब प्रकार से उपयोगी यह प्रतीक धर्म जीवन का पर्याय है। सूर्य भगवान धर्म के तेज और संकल्प के प्रतीक हैं। उनके रथ का चक्र एक है, रास्ता नहीं है, सात घोड़े हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सर्प की लगाम है, सारथी के पैर नहीं हैं। क्या ऐसी गाड़ी चल सकती है? फिर भी वे बिना थके प्रतिदिन पूरब से पश्चिम जाते आते हैं। कार्य की सिद्धि स्वयं के भरोसे होती है।

देश में जन्मे अग्रजन्मा ऐसा जीवन जिएं कि दुनिया उनसे प्रेरणा लें। “स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः” यानी पृथ्वी के समस्त मानव भारतवासियों के चरित्र से जीवन की विद्या सीखें। उन्होंने कहा कि परम वैभव सम्पन्न, सबके लिए खुशी और शांति बांटने वाला तथा विकास का सुफल देने वाला भारतवर्ष हमें खड़ा करना है। यही विश्व की अक्षर और हमारा कर्तव्य



ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित अतिथियों के मंदिर परिसर से बाहर निकलने पर बब्बु खान ने सबको लगे लगाकर बधाई दी।

अमृत विचार



एक हाथ में त्रिशूल व दूसरे में डमरु लिए यह साधु आकर्षण का केंद्र बना रहा।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामपथ पर निकल रहे काफिले को देखकर लोगों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए।

अमृत विचार



साकेत महाविद्यालय के निकट मंच पर बुंदेलखंड का राई नृत्य पेश करतीं कलाकार।



ध्वजारोहण को कैमरे में कैद करते लोग।

अमृत विचार



ध्वजारोहण के बाद राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु।

अमृत विचार

राजेंद्र कुमार पांडेय, अयोध्या

**अमृत विचार :** तीन मिनट में पूरी तस्वीर बदल गई। ध्वजविहीन श्रीराम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज प्रत्यक्ष हुआ, लहराने लगा। नेताओं के साथ मौजूद जनसमूह के चेहरों के भाव भी बदल गए। पीएम मोदी हाथ जोड़े रहे। सीएम योगी के हाथ से करतल ध्वनि निकलती रही। इन्हीं तीन मिनटों में इतिहास की सुई अतीत से भविष्य की ओर बढ़ गई।

समय सबसे बड़ा है। दूसरों को अतीत, वर्तमान और भविष्य का अहसास करा देता है। ध्वजारोहण में मंगलवार को इसे करीब से महसूस



शिखर पर जा रहे ध्वज को देखते समय भावुक हो गए पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल व सीएम योगी आदित्यनाथ।

अमृत विचार

किया गया, 11 बजकर 55 मिनट पर घोषणा होती है। पीएम मोदी ध्वज का आरोहण करने पहुंच रहे हैं।

पहुंचते हैं, गांधीय के साथ चेहरे का

भाव बदलता है। 11:56 बजे संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के साथ बिंबों से युक्त केसरिया ध्वज का आरोहण शुरू करते हैं। उनके हाथ

स्वतः प्रणाम की मुद्रा में जुड़ जाते हैं। प्रसन्नता के भाव से युक्त बगल खड़े सीएम योगी के हाथ स्वयं जुड़ने और खुलने लगते है, करतल ध्वनि होने लगती है। सभी शनैः-शनैः ध्वज को चढ़ते हुए देखते हैं। जैसे-जैसे ध्वज शिखर की ओर बढ़ता है। चेहरों पर खुशी के भाव छलकने लगते हैं। ऊपर चढ़ने के साथ ध्वज फहरता है। लहराते ध्वज पर नए प्रतीक सूर्य, ऊं के साथ कोविदार प्रत्यक्ष होने लगते हैं। 191 फिट ऊपर पहुंचते देखने के लिए सभी को सिर उठाना पड़ता है। धर्म ध्वज की शुरुआत हो गई थी। इस तीन मिनट के वर्तमान पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में भविष्य की बुनियाद रख दी। उन्होंने श्री राम मंदिर के ध्वज के रंग, सूर्यवंश की ख्याति और कोविदार वृक्ष से रामराज्य की कृति के प्रतिकृपित किए जाने के हवाले से संकेतों में बहुत कुछ कह दिया।









न्यूज ब्रीफ

**गन्ना क्रय केंद्र पर चौकीदार की मनमानी के खिलाफ भड़के किसान**  
महराजगंज तराई, बलरामपुर, अमृत विचार । गन्ना क्रय केंद्र पटोहाकोट पर चौकीदार द्वारा बैलगाड़ियों से गन्ना चोरी करने के आरोपों को लेकर ग्रामीण गन्ना किसानों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया । प्रदर्शन में ग्राम बरगदही निवासी वीरपाल सिंह, मुन्ना, शिवप्रसाद, कृपाराम, बेकारु, नकछेद, सुशीला, बड़का समेत कई किसान शामिल रहे । किसानों ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा लाए गए गन्ने को चौकीदार अक्सर बैलगाड़ियों से चोरी कर लेता है । इसकी शिकायत कई बार कांटा बाबू से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई । किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चौकीदार को हटाय जाए । किसानों के प्रतिनिधिमेंडल ने जिला गन्ना अधिकारी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की । जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि चौकीदार के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कराई जा रही है ।

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव

**पचोड़वा, बलरामपुर, अमृत विचार ।** थाना क्षेत्र के ग्राम हरनहवा परसिया के मजरा सिरसिहवा में शुक्रवा को गांव के उत्तर-पूर्व स्थित सागीन के बाग में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला । ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है । मृतक की पहचान गांव के ही चंद्रभान गौतम (30) पुत्र प्रभु गौतम के रूप में हुई है । चंद्रभान मूल रूप से भगवानपुर शिवपुर पचोड़वा का निवासी था और अपने ननिहाल सिरसिहवा में रहता था । परिजनों के अनुसार मृतक की पत्नी पूनम का रो-रोकर बुरा हाल है । मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक रमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक किसी की ओर से तहरीर नहीं मिली है । प्रारंभिक जांच में मृतक के पास से शराब भी मिली है और वह नशे का आदी बताया जा रहा है । घटना की पुष्टि ग्राम प्रधान संतोष चौधरी ने की है । पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

किशोरियों को शिक्षित बनाने के लिए हुई चर्चा

**बलरामपुर, अमृत विचार ।** देहात इंडिया बलरामपुर के तत्वाधान में मंगलवार को ब्लॉक बलरामपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत ज्यौनार में आगनबाड़ी केंद्र के परिसर में किशोरी समूह बैठक आयोजित की गई । बैठक में बच्चों से जुड़े मुद्दे, किशोरी समूह के उद्देश्यों, बाल अधिकारों, बाल विवाह, बाल श्रम, टोल-फ्री हेल्पलाइन तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई । देहात संस्था के प्रोग्राम एसोसिएट विशाल उन्निवाल ने कहा कि ऐसे बालहित समाज का निर्माण आवश्यक है, जहाँ बच्चों के अधिकार सुनिश्चित हों और वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें । किशोरी समूह लीडर सोनी ने कहा कि बेटियों की शिक्षा रोकना समाज के विकास में बाधक है, इसलिए सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए । बैठक में शालू, नंदिनी, गुड़िया, रूपाली, ईशा, दीपाती, उन्नति, खुशबू, परी, वंदना, मिताली, खुशी सहित ग्राम की महिलाएँ, आगनबाड़ी कार्यकर्ता सोनम कर्नोजिया एवं देहात संस्था से विशाल उन्निवाल उपस्थित रहे ।

आनलाइन जमा करें जीवित प्रमाण पत्र

**सीतापुर ।** वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि सभी पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करें, जो पेंशनर जिस माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है, अगले वर्ष उसी माह में जमा करें । जीवन प्रमाण पत्र जमा करने कोषागार नहीं आना है, अपने मोबाइल से ही जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जा सकता है । इसके लिए अपने मोबाइल में जीवन प्रमाण पेप और आधार फेस आरडी पेप प्ले स्टोर से डॉउनलोड करें ।

आयोजन

गुरु तेगबहादुर की स्मृति में विविध कार्यक्रमों संग हुआ अटूट लंगर

गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मना 350वां शहीदी पर्व

संवाददाता, करनैलगंज, गोंडा

**अमृत विचार :** नगर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरु तेगबहादुर जी 350वें शहीदी दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । जिसमें नगर सहित आसपास क्षेत्रों के श्रद्धालु गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे । संगत ने अरदास के साथ शहीदों को नमन किया और गुरुद्वारा परिसर में आयोजित अटूट लंगर में लोगों ने प्रसाद छका ।

शाम को आयोजित विशेष कार्यक्रम में ज्ञानी प्रिंसिपाल सिंह पटियाला, ज्ञानी सोहन सिंह रूद्रपुर सहित कई रागी जत्थों ने गुरुवाणी कीर्तन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्ति रस में डुबो दिया । दीवान

मजीद मोड़ से नहर बाला गंज तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई, कड़ी सुरक्षा में ढहे अवैध निर्माण

संवाददाता, बलरामपुर

**अमृत विचार ।** नगर के मुख्य व्यस्त क्षेत्र मजीद मोड़ में मंगलवार को नगर पालिका परिषद ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया । सुबह करीब 11 बजे नगरपालिका का बुलडोजर बाजार में पहुँचते ही पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया । इसके बाद मजीद मोड़ से पानी टंकी होते हुए नहर बाला गंज तक सड़क किनारे के अवैध निर्माण चरणबद्ध तरीके से हटाए गए ।

कार्रवाई के दौरान नालियों पर बने छज्जे, शोड और पक्के-कच्चे निर्माण जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किए गए । कई स्थानों पर



बलरामपुर नगर में अतिक्रमण हटाना नगर पालिका का बुलडोजर ।

अमृत विचार

स्थिति भांपते हुए लोगों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया । बाजार में दुकानदार और घरों के सामने से सामान समेटते लोगों की भारी हलचल दिखी ।

अभियान के समय भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई । पुलिस की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्ण ढंग

महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले जारी



खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करती डॉ. पूनम तिवारी ।

अमृत विचार

**गोंडा, अमृत विचार:** खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिला प्रशासन गोंडा के तत्वावधान में क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोंडा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 20 से 27 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है । प्रतियोगिता के छठे दिन नॉकआउट राउंड मैचों का शुभारंभ उपक्रीड़ा अधिकारी अशोक सोनकर, डॉ. पूनम तिवारी और अनीता सोनकर ने संयुक्त रूप से किया । पहले मैच में चारागसी ने अलीगढ़ को 2-0 से

पराजित किया । दूसरे मुकाबले में आजमगढ़ की टीम ने लखनऊ को रोमांचक मुकाबले में 4-2 से हराया, जबकि तीसरे मैच में आगरा ने मेरठ को 1-0 से मात दी । इस अवसर पर मैच कम्पिशनर आशीफ नजबी, बहराइच मंडल सचिव आयुब शाह, सीनियर रेफरी एवं मऊ फुटबॉल सचिव हाजी मनुवर, व्यायाम शिक्षक एवं फुटबॉल संयोजक संजय सिंह, खेल सचिव राजेश पांडेय, ताइक्वांडो प्रशिक्षक डॉ. प्रत्यूष राज, खेलो इंडिया प्रशिक्षक मोहम्मद तौकीर, क्रिकेट प्रशिक्षक विशाल तिवारी, हरिओम जायसवाल और रोमी साहू मौजूद रहे ।

छात्र बनेंगे सड़क सुरक्षा दूत, करेंगे जागरूक



रोड सेफ्टी क्लब की कार्यशाला में मौजूद विद्यार्थी ।

अमृत विचार

**जरवा, बलरामपुर, अमृत विचार ।** सीमा क्षेत्र जरवा स्थित बसंत लाल स्मारक इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिवहन विभाग के निर्देशानुसार रोड सेफ्टी क्लब द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला में विद्यार्थियों चंचलदीप, रविता, निशा, अंशु, विद्या, आवेश, ओम, शनि, सतीश, मोहन समेत कई छात्र-छात्राओं ने सदस्यता ली । अब ये छात्र विद्यालय

एवं आसपास के क्षेत्रों में बच्चों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाकर उन्हें जागरूक करेंगे । प्रधानाचार्य शम्बीर हसन ने कहा कि बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है । विद्यालय में प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से ट्रैफिक रूल्स से अवगत कराया जाएगा । कार्यशाला में अध्यापक पूजा, आरती, राजेश, हरि शंकर सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे ।

सैंट जेवियर्स विद्यालय में हुई कार्यशाला



कार्यशाला में मौजूद विद्यार्थी और अधिकारीगण ।

अमृत विचार

**बलरामपुर, अमृत विचार ।** उत्तर प्रदेश शासन के निदेशानुसार सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में बलरामपुर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों एवं नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर केंद्रित मिशन शक्ति के पाँचवें चरण के अंतर्गत जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य असीम रूमी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर उमेश सिंह, महिला थाना प्रभारी पूनम यादव एवं एसआई प्रीति वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया । मंच संचालन दिव्यांशी कसौधन एवं वीरभद्र त्रिपाठी ने

किया । कार्यक्रम में कक्षा 10, 11 और 12 के छात्र उपस्थित रहे । छात्राओं आत्था, आधुशी, वार्तिका, अनुका व प्रंशा द्वारा सड़क सुरक्षा पर बनाई गई आकर्षक रंगोली विशेष आकर्षण रही । प्रथम सत्र में महिला थाना प्रभारी पूनम यादव व एसआई प्रीति वर्मा ने बच्चों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, एम्बुलेंस 102 सहित विभिन्न सेवाओं की कार्यप्रणाली से अवगत कराया । उन्होंने मिशन शक्ति कक्ष, महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, एंटी रोमियो स्क्वाड आदि की भूमिका भी बताई ।

गुरु तेगबहादुर की स्मृति में विविध कार्यक्रमों संग हुआ अटूट लंगर



करनैलगंज के गुरुद्वारा में अरदास करते लोग ।

अमृत विचार

में गुरु तेगबहादुर जी के बलिदान और भाई मती दास, भाई सती दास व भाई दयाला जी की शहादत को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका त्याग मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है ।

शायर मुजीब सिद्दीकी, मोहम्मद इकबाल अहमद, सरदार रतनदीप सिंह, हरजीत सिंह आदि ने गुरु महिमा का बखान करने के साथ उनका जीवन पर प्रकाश डाला । मंगलवार को गुरुद्वारे में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा । सिख

समुदाय के लोगों ने सुबह गुरुद्वारा पहुंचकर कीर्तन दरबार और गुरुग्रंथ साहिब दरबार में मत्था टेका । इस बार गुरुद्वारे में इस कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां की गई थी । इस मौके पर उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि गुड्डू सिंह, अनोखेलाल मोदनवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष गिरि, डा. अमित गुप्ता, गुरुद्वारा गोंडा के प्रधान राजिन्द्र सिंह भाटिया, स.अजीत सिंह सलुजा, ज्ञानी अशोक सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, जोगिंदर सिंह जानी, मनोहर सिंह छाबड़ा, हरजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह, डॉ गुरदीप सिंह, डॉ. पुनीत सिंह, रमनदीप सिंह लवी, इंद्रजीत सिंह, अनिनाश सिंह सहित नगरवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया ।

एसआईआर अभियान तेज, टीम ने घर-घर किया मतदाता सत्यापन

गोविंदबाग ईदगाह, पुरानिया तालाब व गडुरहवा में किया गया विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण

संवाददाता, बलरामपुर

**अमृत विचार ।** विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मंगलवार को नगर के मोहल्ला गोविंदबाग ईदगाह, पुरानिया तालाब, गडुरहवा सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा व्यापक सत्यापन कार्य किया गया । अभियान के दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शाबान अली, सभासद शमशाद अहमद और तारिक पठान भी मौके पर उपस्थित रहे तथा टीम को सहयोग प्रदान किया । बीएलओ मनोज कुमार मिश्रा और रोहित देव त्रिपाठी ने घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम, पते

से सम्पन्न हुआ । नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि शहर को सुव्यवस्थित बनाने और यातायात सुचारु रखने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी । इसी बीच कुछ स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि पूर्व चिन्हांकन वीर विनय चौराहा, बहराइच रोड, गोंडा मार्ग और तुलसीपुर मार्ग पर हुआ था, लेकिन कार्रवाई की शुरुआत मुस्लिम बहुल इलाकों से की गई, जिससे असंतोष देखा गया । अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभियान क्रमबद्ध है और चिन्हित सभी क्षेत्रों में कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी ।

सूट उपलब्ध कराया गया है । उन्होंने कहा कि नगरपालिका परिषद हमेशा सफाईकर्मियों के योगदान को सम्मान की दृष्टि से देखती है और उनकी सुविधा व कल्याण को प्राथमिकता देती है । अध्यक्ष डॉ. धीरू ने कहा कि नगर की स्वच्छता व्यवस्था में

महिला सफाईकर्मियों को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । उनका परिश्रम ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखता है । कार्यक्रम में सफाई निरीक्षक दिवाकर पांडेय, सफाई लिपिक अरविंद सिंह, गौरव मिश्र, शिवम मिश्र तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।



गहन मतदाता पुनरीक्षण में लोगों को उपयोगी जानकारी देते शाबान अली । अमृत विचार

और आयु की जानकारी का मिलान किया । पात्र युवाओं के नए नाम जोड़ने, मृतक तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटियों के संशोधन की प्रक्रिया को विशेष प्राथमिकता दी गई । अभियान के दौरान स्थानीय लोगों में मतदाता सूची सुधार के

प्रति उत्साह देखा गया और उन्होंने स्वेच्छा से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए । अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है और यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा ।

एसआईआर अभियान में उमड़ी जन सहभागिता

संवाददाता, बलरामपुर

**अमृत विचार ।** विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को विकास खंड तुलसीपुर की ग्रामसभा कोहरोड़ा में बूथ संख्या 282 पर मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोच संकेत मिश्रा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया ।



एसआईआर के बारे में लोगों को जानकारी देते विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा ।

आयोजन में चन्द्रगोपाल, अशोक मिश्रा, उदयभान, श्रमवीर सिंह, बीपत साहू, राजेश शाहू, दिनेश, सूरजलाल गुप्ता (प्रधान, बदलपुर), विनय मिश्रा (प्रधान, भभरी), रवि जैसवाल (प्रधान प्रतिनिधि, परसिया कला), पूर्व प्रधान दुंदरा अटल वर्मा एवं मदन तिवारी सहित कई सम्मानित जन उपस्थित रहे । इसी क्रम में धर्माराम नगर, मंडल गुमड़ी में भी बूथ संख्या 362 पर कार्यक्रम संपन्न हुआ । यहां भी मुख्य अतिथि सदस्य

विधान परिषद साकेत मिश्रा की उपस्थिति में मतदाता शुद्धिकरण व जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की गईं । मंडल अध्यक्ष रामनिवास वर्मा के आवास पर हुए कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल, राजेश भारती, रंजीत गुप्ता, विजय श्रीवास्तव, मनीष कौशल तथा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे । दोनों स्थानों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व सुधार के प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया । मुख्य अतिथि ने पात्र नागरिकों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कराने की अपील की ।

राम विवाह पर आयोजित रामलीला मंचन में संवादों ने किया उल्लासित

संवाददाता, खरगपुर, गोंडा

**अमृत विचार:** भंगहा में आयोजित श्री राम विवाह महोत्सव में मुनि विश्वामित्र आगमन, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार, गंगा दर्शन का मंचन किया गया । मंचन के दौरान मुनि के किरदार में राकेश गोस्वामी द्वारा राम व लक्ष्मण को मांगने पर दशरथ के किरदार में विश्वनाथ वर्मा ने कहा कि 'वैसे तो मेरे चार पुत्र बूढ़ी आँखों के तारों हैं पर उसमें राम मेरा प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं । इस पर विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले 'टाल-टूल अच्छी नहीं इस अवसर नर नाथ या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ' ।

इतने में कुल गुरु वशिष्ठ के रूप में अक्षय गोस्वामी ने राजा दशरथ को समझाते हुए कहा कि ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या ज्ञान सिखाएंगे, आनंद दुःख वहां होकर



रामविवाह उत्सव पर आयोजित रामलीला मंचन का दृश्य ।

अमृत विचार

आनंद सहित घर आएंगे । इतना सुनते ही राजा दशरथ ने महल से राम व लक्ष्मण को बुलाकर विश्वामित्र को सोप दिया ।

दूसरे दृश्य में सुबाहु का मंचन कर रहे अवधेश पाण्डेय ने कहा कि जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उसे तोड़ने में, इसलिए शीघ्र वापस जाओ खुश हूँ मैं तुझे छोड़ने

में । जवाब में राम के रूप में भानु गोस्वामी ने कहा कि 'यदि खुद को वीर समझते हो तो छोड़ो ममता प्राणों की, लो सभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की' । राम विवाह महोत्सव में मंचित उक्त संवादों को सुनकर दर्शक तालियां बजाकर कलाकारों का हौसला बुलंद किया ।

महिला सफाईकर्मियों को भेंट की सूट व साड़ी



महिला सफाईकर्मियों को सूट व साड़ी भेंट करते नगरपालिका अध्यक्ष । अमृत विचार

सूट उपलब्ध कराया गया है । उन्होंने कहा कि नगरपालिका परिषद हमेशा सफाईकर्मियों के योगदान को सम्मान की दृष्टि से देखती है और उनकी सुविधा व कल्याण को प्राथमिकता देती है । अध्यक्ष डॉ. धीरू ने कहा कि नगर की स्वच्छता व्यवस्था में

महिला सफाईकर्मियों को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । उनका परिश्रम ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखता है । कार्यक्रम में सफाई निरीक्षक दिवाकर पांडेय, सफाई लिपिक अरविंद सिंह, गौरव मिश्र, शिवम मिश्र तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।





कार्यालय नगर पालिका परिषद सुलतानपुर	
पत्रांक: 621 / न0पापरि0सुलो/2025–26	दिनांक 24 नवम्बर 2025
सार्वजनिक सूचना	
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद सुलतानपुर में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग एतद्वारा ‘‘नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018’’ तत्सम्बन्धी और प्रारसँगिक अथवा आनुसंगिक मामले के लिए निम्नलिखित नियमावली /उपविधि बनाती है।नगरवासियों से अपील है कि निम्न नियमावली/उपविधि पर आपत्ति एवं सुझाव 30 दिनों के अन्दर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।	
<b>नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018 ( प्रारूप) अधिसूचना</b>	
नगर पालिका परिषद सुलतानपुर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ‘‘ <b>टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016</b> ’’ के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि (प्रारूप) बनायी है।	
यह उपविधि टोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण Processing एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। इस उपविधि (प्रारूप) की स्वीकृति नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के बोर्ड के संकल्प दिनांक 15.09.2025 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसके सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित से समाचार में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। उपविधि का प्रारूप नगर पालिका परिषद सुलतानपुर के सफ़ाई विभाग कार्यालय में नि:शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है व नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की वेबसाइट http://www.sultanpurnpp.in पर देखी जा सकती है। इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत है–	

1. <b>“संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ”</b>	इस उपविधि का नाम नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की ‘‘नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018’’ कहलाएगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक .....से लागू/प्रभावी होगी।
2. <b>“लागू होना”</b>	यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।
यह उपविधि नगर पालिका परिषद, सुलतानपुर जनपद सुलतानपुर की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमाएं इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी टोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगर पालिका परिषद <b>सुलतानपुर</b> की सीमा में है पर लागू होगी।	
3. <b>इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है–</b>	
1. <b>“अभिकरण या अभिकर्ता”</b>	से तात्पर्य नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेंसी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफ़ाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीकरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करे।
2. <b>“जैवनाशित अपशिष्ट(बायोडिग्रेडिबल वेस्ट)”</b>	से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे पत्ताई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पतियों बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।
3. <b>“जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)”</b>	से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से हों जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हों। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणिया भी सम्मिलित हैं।
4. <b>“शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य”</b>	बायो डिग्रेडिबल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा कचकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साइक्लेबल अपशिष्ट, नान-रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।
5 <b>“घरेलू परिसंकटमय(हजार्डस) अपशिष्ट”</b>	से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक /हानि कारक अपशिष्टोंजैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0ए0 बन्द, ट्यूब लाइट, अवधि समाप्त औषधियाँ, दूटे हुए पारा वाले धर्माटीरन, प्रयुक्त बैटरियाँ, प्रयुक्त सुइयों तथा सिरिज और संप्रतिष पिट्टियों आदि से है।
6. <b>“बायो-मीथेनेशन से तात्पर्य”</b>	ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बोक्सीबल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ कड़नाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है, जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।
7. <b>“द्वार–द्वार संग्रहण से तात्पर्य”</b>	घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर टोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहु मंजिले भवन या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से टोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।
8. <b>“विकेन्द्रित प्रसंस्करण”</b>	से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।
9. <b>“ब्रांड ओनर से तात्पर्य”</b>	ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।
10. <b>“निपटान से तात्पर्य”</b>	भूजल सतही जल, परिवेशी वायु के सद्पूषण तथा पशुओ या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपचारत अपशिष्ट, टोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा कचकट और सतही नाली की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।
11. <b>“नगर निकाय”</b>	से तात्पर्य नगर पालिका परिषद सुलतानपुर जनपद सुलतानपुर से है।
12. <b>“बृहद अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)”</b>	से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 50 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते है तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों अन्य शैक्षिक संस्थओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पक्का स्थलों, रेस्टेडियोमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल है, आदि से है।
13. <b>“संग्रहण”</b>	से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय टोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।
14. <b>“स्रोत पर संग्रहण”</b>	से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय टोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे ‘‘घर–घर संग्रहण’’ भी कहा जा सकता है।
15. <b>“सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र”</b>	से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख–खाव नगरीय टोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
16. <b>“कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य”</b>	ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक /एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अव क्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।
17. <b>“निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी,</b>	अपशिष्ट से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।
18. <b>“अपशिष्ट छँटाई केन्द्र”</b>	से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छँटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।
19. <b>“अपशिष्ट उत्पादक”</b>	से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय टोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।
20. <b>“निष्क्रिय टोस अपशिष्ट से तात्पर्य”</b>	किसी टोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफ़ाई सम्बन्धी गड़बड़े के लिए उपयुक्त बनाते है।
21. <b>“कूड़ा कचरा से तात्पर्य”</b>	किसी प्रकार का टोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा, लकड़ी खाना, वाहन के परिवर्त्य भाग, फनीचर या फनीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, टोस बालू या पथर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।
22. <b>“संग्रहण”</b>	से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।
24. <b>“मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)”</b>	से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व–पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानाचरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित है।
25. <b>“नगरीय टोस अपशिष्ट”</b>	के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो टोस या अर्द्धटोस रूप में है।
26. <b>“गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन”</b>	से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधत्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।
27. <b>“अध्यासी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,</b>	जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।
28. <b>“स्वामी से तात्पर्य”</b>	ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। ‘‘प्रसंस्करण’’ से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा टोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू–नरण स्थल हेतु।
29. उपयुक्त बनाने के प्रायोजन के लिए प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया है।	
30. <b>“पुनर्चक्रण”</b>	से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्करत गैर जैव विकृत टोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान नहीं हो सकती है।

31. <b>“कच्चा निस्तारण प्रमार से तात्पर्य”</b>	नगर निकाय द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय टोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रमार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोक्ता व्यापार कचरा प्रमार सार्वजिनित है।
32. <b>“प्रयोक्ता शुल्क”</b>	से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।
33. <b>“पृथक्करण”</b>	से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्ट समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वष सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक् करने से है।
34. <b>“छँटाई”</b>	करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रमार्गों जैसे कागज प्लास्टिक, गत्ता, धातु कोंच आदि को समुचित पुन: चक्रण सुविधा से पृथक् करना सम्मिलित है।
35. <b>“भण्डारण”</b>	से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा कचकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।
36. <b>“परिवहन”</b>	से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।
37. <b>“विहित प्राधिकारी”</b>	में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगें, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमश: समुनिर्दिष्ट है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।	
इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रश्नम आदि का विवरण निम्नवत् है–	

<b>अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य</b>	<div>प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता– (क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्करत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल(गीला कूड़ा), नान–बायोडिग्रेबल (सूखा कूड़ा) और हजार्जस अपशिष्ट के तीन अलग–अलग रंग के डिब्बों क्रमश: हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय–समय पर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा निर्गत या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा। (ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरो और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त पोपेडन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान–बायोडिग्रेबिल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा। (ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय–समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा। (2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा। (3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची–4 का भुगतान करेंगे जो टोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है। (4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित कर अनुमति प्राप्त किये बिना किसी गैर अनुज्ञाति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा। और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। (5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर) अपने कार्यकालात के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा। (6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर पालिका परिषद की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चकों को सौंपना निश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक पुनर्चकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा। (7) सभी बृहद अपशिष्ट सृजक नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक् करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का, परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण का सौंप दिया जायेगा।</div>
<b>प्रतिषेध</b>	3 (1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्यतान पाइप और फिटिंगों में कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो– (1) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुंचने की (2) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की। (3) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही धूंकेंगा न पेशाब करेगा न ही उसे बिकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलाएगा और न ही, पशुओं, वाहनों, बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा। (3)(1) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिमोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे व द्रव, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो, जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा। (2) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा। (3) कोई भी पशुओं के स्वामी किसी भी दश में उन्हें खुला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे मार्ग/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनाएं होने की सम्भावना बनी रहती है। (4) कोई भी व्यक्ति घाटो, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्ड अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री लिपकावर या अन्य प्रकार से गंदगी नहीं करेगा। (5) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का प्रयोग, उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा। (6) कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और नहीं डलवायेगा। (7) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा। (8) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाई कर्मी द्वारा घर–घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उत्ल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।
<b>नगरीय टोस अपशिष्ट का संग्रहण</b>	4 (1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार–द्वारा संग्रहण (क) द्वार–द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक पालिका सफाईकर्मी/अधिकृत एजेंसी के सफाई कर्मी को कंटेनरयुक्त हाथदोला/रिश्ता तथा एक घण्टी या सीटी/सायनर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट में सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घण्टी या सीटी/सायनर बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा–निर्धारित समावधि में एवं यथा–निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़ों को जलायेगा नहीं और उसे नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंपेगा। (ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप में घर–घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कंटेनरयुक्त वाहन/मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कंटेनर में डालेंगे।

- “कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य”** नगर निकाय द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय टोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।
- “प्रयोक्ता शुल्क”** से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।
- “पृथक्करण”** से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्ट समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वष सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।
- “छँटाई”** करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवाओं जैसे कागज प्लास्टिक, गत्ता, धातु कांच आदि को समुचित पुन: चक्रण सुविधा से पृथक करना सम्मिलित है।
- “भण्डारण”** से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा कचकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोक़ा जा सके।
- “परिवहन”** से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।
- “विहित प्राधिकार”** में अधिशासी अधिकारी से सफ़ाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगें, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उल्ले लिए क्रमश: समुनिर्देष्टित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रश्नमन आदि का विवरण निम्नवत् है:–

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य	
<p>प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–</p> <p>(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल(गीला कूड़ा), नान–बायोडिग्रेबल (सूखा कूड़ा) और हजार्जस अपशिष्ट के तीन अलग–अलग रंग के डिब्बों क्रमश: हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय–समय पर नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा निर्गत या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।</p> <p>(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पेड़ों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रेपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान–बायोडिग्रेबिल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।</p> <p>(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय–समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।</p> <p>(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।</p> <p>(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची–4 का भुगतान करेंगे जो टोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।</p> <p>(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित कर अनुमति प्राप्त किये बिना किसी गैर अनुज्ञाति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा। और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा तथा इस सम्बन्ध में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रेपारों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा अन्यथा समन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।</p> <p>(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर पालिका परिषद की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक पुनर्चक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।</p> <p>(7) सभी वृहद अपशिष्ट सृजक नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। वृहद अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का, परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण का सौंप दिया जायेगा।</p>	
<p>प्रतिषेध</p> <p>3</p> <p>(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गडडा, सम्यातन पाईप और फिटिंगों में कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकबायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो–</p> <p>(1) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुँचने की</p> <p>(2) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की खतरनाक होने या जनसास्थ्य के लिए हानिकारक होने की।</p> <p>(3) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही धूरेगा न पेशाब करेगा न ही उसे बिकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलाना और न ही, पशुओं, वाहनों, बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।</p> <p>(3)(1) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिमोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट बाहे व द्रव, अर्द्धटोस या टोस पदार्थ हों, जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।</p> <p>(2) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।</p> <p>(3) कोई भी पशुओं के स्वामी किसी भी दश में उन्हें खुला नहीं छोड़ेंगें क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनाएँ होने की सम्भावना बनी रहती है।</p> <p>(4) कोई भी व्यक्ति घाटो, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नान पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्ड अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी नहीं करेगा।</p> <p>(5) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकले आइटम्स का प्रयोग, उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।</p> <p>(6) कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लौद, पशैनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और नहीं डलवायेगा।</p> <p>(7) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।</p> <p>(8) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफ़ाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफ़ाई कर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सडक पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उत्पन्नकर्ता से वसूल किया जायेगा।</p>	
<p>नगरीय टोस अपशिष्ट का संग्रहण</p> <p>4</p> <p>(1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार–द्वारा संग्रहण</p> <p>(क) द्वार–द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक पालिका सफ़ाईकर्मी/अधिकृत एजेंसी के सफ़ाई कर्मी को कंटेनरयुक्त हाथोटेला/रिक्शा तथा एक घण्टी या सीटी/सायनर उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक कर्मी का सफ़ाई बीट में सफ़ाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफ़ाईकर्मी घण्टी या सीटी/सायनर बजाकर सफ़ाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा–निर्धारित समावाधि में एवं यथा–निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफ़ाई कर्मी सड़क/गली की सफ़ाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़ें को जलायेगा नहीं और उसे नगर पालिका परिषद सुलतानपुर द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंपेगा।</p>	
<p>(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप में घर–घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेंगे।</p>	

		<p>(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर–घर से अपशिष्ट से संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।</p> <p>(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण–</p> <p>होटल या रेस्तेरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।</p> <p>(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण– शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकाय द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।</p> <p>(4) क्वशाला अपशष्टि यथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी इस अपशष्टि को नगरीय टोस अपशष्टि मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।</p> <p>(5) औद्योगिक अपशष्टि का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों अनुसार किया जायेगा।</p> <p>(6) अनुपचारित जैव चिकित्सीय अपशष्टि (जैसा अनुसूची–3 में सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या उसका अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे उत्पादक से पृथक–पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस एक विनिर्दिष्ट प्रमाण होरा तदोपात्त इस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र को भेजा दिया जायेगा।</p> <p>(8) सभी जैव अनाशित (नॉन बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट पुन: प्रयोग करने योग्य और पुन: प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक–पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था नगर पालिका परिषद सुलतानपुर या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐंसे स्थानों और ऐंसे समय पर किया जायेगा जैसा कि ऐंसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय–समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐंसे अपशष्टि के छटान केंद्रों को दिया जायेगा। वेस्ट पिकर्स–वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का संवेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को विन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान पत्र दिया जायेगा उन्हें अपने कार्य प्रक्षिण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर–घर से रिसाइक्लेबल अपशष्टि संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं लाइसेंस प्राप्त पुन: प्रयोगकर्ताओं या कबाडियों को संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केंद्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया ला सकता है।(पुन: प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत अनुसुचि दो मे दी गई है।)</p> <p>(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था मे ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहा स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना समन न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीर लेकर पृथक–पृथक किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।</p> <p>(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों में संग्रहित अपशिष्ट को हाथोटेला गाडियो से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।</p>
		<p>(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।</p> <p>(12) नाले व नालियों के सफ़ाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।</p>
नगरीय टोस अपशिष्ट का पृथक्करण	5	<p>(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय टोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक करेगा<span> </span>:-</p> <p>1–जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)</p> <p>2– जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)</p> <p>3–जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट</p> <p>4–घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट</p> <p>(2) पृथ्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों के सम्मिलित किया जायेगा।</p>
नगरीय टोस अपशिष्ट का भण्डारण	6	<p>(1) नगर निकाय नगरीय टोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुक्षण इस निति से करेगा कि आस–पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।</p> <p>(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थान पर होगी।</p> <p>(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहां किसी का द्रष्टृण तथा गन्दगी न फैले।</p> <p>(4) नगर निकाय नगरीय टोस अपशिष्ट के भण्डारण व हथालन सुगमता पूर्वक हो सके, अत: यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।</p> <p>(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र बाहे खुले स्थान में हो या बन्द शेड में हो किसी परिषर में हो या सार्वजनिक स्थान हो से नगर निकाय नगरीय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय टोस का संग्रह किया जाता हो वहा टोस को पृथक–पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार</p>



नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन	13	अधिशाली अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिह्नित करायेगा। जहाँ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाडी की दिये जाने के लिए एक्त्रित (रुट) योजना के अनुसार एक्त्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूड़ा ढका रहेगा।
श्रोत पर ही एकत्रीकरण	14	भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा श्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाडियों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाये।
सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट मण्डारण केन्द्र	15	अपवाधिक मामलों में जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या श्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट मण्डारण केंद्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिवासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अक्थारित किया जाये।
अपशिष्ट छटाई केंद्र	16	पुनर्वर्क्रीय और अपुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छंटाई केंद्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केंद्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते हैं, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से खोखा, शेड या गुम्टी के रूप में उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जाएंगे। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वाली की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अनिकरणों द्वारा भी की जायेगी। जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के मण्डारण के लिए हरे रंग के डिब्बे पुनर्वकमण योग्य अपशिष्ट के लिए लाल रंग एवं अन्य अपशिष्ट के लिए "लाल रंग" के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा। छंटाई के बाद अवशेष अपुनर्वर्क्रीय कूड़े का प्रसंस्करण या मृमि भराव के लिए ऐसे छंटाई केंद्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर मेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छटाई केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर कय एवं विकय का कार्य अधिवासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।
समय सांरिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग	17	नगरीय ठोस अपाशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सांरिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।
स्थानीय नागरिक समूह	18	स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना तदोपरांत घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वेच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सकें। सड़कों की सफाई कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिए निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।
सफाई अभियान	19	जमीकरण प्रक्रिया मॉडल उपविधियों तथा स्थानीय नागरिक समूहों स्वेच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पालिका की कार्याकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।
सफाई अभियान	19	उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिए आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाये और जहाँ स्थानीय पार्श्व या सदस्य नागरिक सहयोग के लिए आगे आते हो सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिए अपेक्षित संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
जगरुकता शिक्षा और प्रशिक्षण	20	अधिवासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अधिकृतों नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बरितियों, दुकानों, फेरी वालो/अपशिष्ट बुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय स्कूलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक युनियनों, सकल एरिया सितिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात इन सबको शिक्षा, जागरुकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिए एक सम्न्धित योजना एवं रणनीती तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन	21	जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्ध के सर्वोत्तम कार्यों के लिए नगर निकाय द्वारा प्रशंसा पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा।
शिकायतों का निस्तारण	22	नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेंट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाईन कम्प्लेंट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकड़े ऑनलाईन प्रिवांस मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओओओएमएस) / सितिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।
नागरिकों की सफाई टीम	23	अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यों में विशेष रुचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्राही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते है तथा सक्षम करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते है। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसरित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
रुचि की अभिव्यक्ति	24	किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण पुरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो-मिथेनीकरण आदि की अधिशाली अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।
आकस्मिक निरीक्षण	25	अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने अपने वार्डों के विभिन्न मार्गों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जाँच करेंगे। किसी उल्लंघन के लिए अर्धदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्गत व्यय उल्लघनकर्ता से वसुला जा सकेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में दायित्व	26	(1) मलिन बरितियों की सफाई के संबंध में दायित्व- क- अधिशाली अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहाँ-जहाँ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आये, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डों के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाते के अन्तर्गत) का विस्तार करेंगे। ख- जहाँ आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी। ग- अपवादित मामलों में जब तक गाडी की संवयेयें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव संचित सामुदायिक अपशिष्ट मण्डारण कूड़ाघन की व्यवस्था की जायेगी जहाँ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहाँ से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी। (2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व- चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक मण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुँचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ाघन में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निषिद्ध है और अर्धदण्ड की अनुपुत्री में इंगित अर्धदण्ड का भागी होगा। (3) ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व- घरेलू नाली वाले भू-गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा और उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग अलग करके पहुँचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्धदण्ड की अनुपुत्री के अनुसार अर्धदण्ड का भागी होगा। (4) नाली की सफाई का दायित्व- घरेलू नाली वाले भू-गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान, ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा और उपब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग अलग करके पहुँचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्धदण्ड की अनुपुत्री के अनुसार अर्धदण्ड का भागी होगा।



		द्वारा उक्त कार्य के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि अनुसूची-1 में उल्लिखित है वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है। शर्त यह होगी कि निकाय में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क कि धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन धन निकाय कोष में जमा करना होगा व इसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाएं अपने पास रखेंगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन (क) अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि व अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा। (ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।	
अनुसूची-1 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि-2018 प्रशमन शुल्क तालिका (झ्रप्ट)			
क्र० सं०	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क (रु० में)	02 वर्ष की अवधि में पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क
	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर :-		
1	1. अपशिष्ट फैलाना/ फेंकना।	200	प्रशमन शुल्क का दो गुना
	2. धूकना	100	"
	3. मूत्र विसर्जन करना।	100	"
	4. जानवरों के अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना।	100	"
	5. वाहनों की धुलाई।	100	"
	6. कपड़े धोना	100	"
	7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना।	200	"
2	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500	"
3	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर।	500	"
4	पालतू पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/ खुल सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर।	2000	"
5	नाले नालियों, ड्रेनेज/ सीवरैज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर-		
6	पालतू मृत छोटे जानवर जैसे-बकरी/बकरा, कुत्ता/कुतिया इत्यादि का निस्तारण	1500	"
7	पालतू मृत बड़े जानवर जैसे-गाय, भैस, बैल इत्यादि का निस्तारण	3000	"
8	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	200	"
9	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।	200	"
10	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाने रखना।	200	"
11	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण।	1000	"
12	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना:-		
	(क) भवन/प्लेट	100	"
	(ख) दुकान/बूथ	100	"
	(ग) माल/मल्टीलेक्स /शापिंग और केंड/होटल	1000	"
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान	100	"
13	प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम का उत्पादन, वितरण, मण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25000	"
14	थर्मोकोल आइटम का उत्पादन वितरण, मण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25000	"
15	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना:		
	(क) व्यक्तिगत भवन	100	"
	(ख) दुकान/बूथ	200	"
	(ग) माल/मल्टीलेक्स / शापिंग आर केंड/होटल	500	"
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान	100	"
16	(ङ) औद्योगिक भूखण्ड/ यूनिट	5000	"
	(च) इवेंट आर्रानाइजर्स	2000	"
	वृहद अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।	2000	"
17	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्लस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	200	"
18	बायोमैडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	1000	"
19	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"
20	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"
21	फीकल स्लैज को नाला/नाली, खुले स्थान, खेत जलस्त्रोत, तालाब पोखर पर डालने पर	5000	"
22	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	"
23	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छंटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"
24	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	500	"
25	खुले में शौच करने पर।	500	"
26	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेंकना।	500	"
27	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	"
28	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।	200	"
29	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।	500	"
30	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	500	"
31	सार्वजनिक सम्मेलन/ समारोह के पश्चात 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए।	2000	"

नोट:-

- उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकारी अधिशाली अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।
- अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थ्रसाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनका हराए ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशाली अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशाली अधिकारी द्वारा उOप्रO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।
- यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

अनुसूची-2 जैवनाशित और पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट की सूची	
जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)	पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। रसाईं घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं। मांस और हड्डियाँ, उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी हैं। पशुओं का कूड़ा करकट, गोबर सफाई के बाद घर की गंदगी, नारियल के छिलके, राख, अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समाचार पत्र, कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें शीशा, धातु के पदार्थ और तार प्लास्टिक फटे कपड़े वमड़ा रेसीन खर लकड़ी/फर्नीचर पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

अनुसूची तीन जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची	
<b>जैव चिकित्सीय अपशिष्ट</b> जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनके सम्बन्धी शोध कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है। 1. धारदार अपशिष्ट:- सुर्रियों, सिरिज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों हैं। 2. बेकार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों- अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाइयों के अपशिष्ट 3. ठोस अपशिष्ट रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, विस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।	

अनुसूची-4 आवासीय/अनावसीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज			
कंठन०	उपभोक्ता की श्रेणी	यूजर चार्ज प्रतिमाह	
1	भवन एक मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	30-00 रु०	
2	भवन दो मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	40-00 रु०	
3	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	50-00 रु०	
4	भवन एक मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	60-00 रु०	
5	भवन दो मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	80-00 रु०	
6	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	100-00 रु०	
7	भवन एक मंजिल (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	70-00 रु०	
8	भवन दो मंजिल (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	90-00 रु०	
9	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	120-00 रु०	
10	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	80-00 रु०	
11	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	120-00 रु०	
12	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	150-00 रु०	
13	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	100-00 रु०	
14	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	120-00 रु०	
15	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	150-00 रु०	
16	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (1001 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल तक)	120-00 रु०	
17	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (1001 वर्ग फीट अधिक क्षेत्रफल तक)	150-00 रु०	
18	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (1001 वर्ग फीट अधिक क्षेत्रफल तक)	180-00 रु०	
19	ऐसे भवन जिनमें दुकान/व्यवसाय हो रहा हो		उपरोक्तानुसार भवन एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के क्षेत्रफल के अनुसार
20	कच्चे भवनों व अत्योदय कार्ड धारक परिवार हेतु	5-00 रु०	
21	पथ विक्रेता, पान/चाय/खोखा/ठेले/सब्जी, फल आदि	50-00 रु०	
22	रेस्टोरेन्ट (50 वर्ग मीटर तक)	500-00 रु०	
23	रेस्टोरेन्ट (50 वर्ग मीटर से अधिक)	1000-00 रु०	
24	होटल, गैस्ट हाउस 30 कमरे तक	2000-00 रु०	
25	होटल, गैस्ट हाउस 30 कमरे से अधिक	2500-00 रु०	
26	होटल तीन सितारा एवं उससे अधिक	3000-00 रु०	
27	लाज 30 कमरे तक	2000-00 रु०	
28	लाज 30 कमरे से अधिक	3000-00 रु०	
29	धर्मशाला 30 कमरे तक	1500-00 रु०	
30	धर्मशाला 30 कमरे से अधिक	2000-00 रु०	
31	बैंक	1500-00 रु०	
32	सिनेमा हॉल	1500-00 रु०	
33	बारातघर/बैंकट हॉल (3000 वर्ग मीटर तक) प्रति बुकिंग	2000-00 रु०	
34	बारातघर/बैंकट हॉल (3000 वर्ग मीटर से अधिक) प्रति बुकिंग	5000-00 रु०	
35	स्कूल जिसमें 500 विद्यार्थी से कम हो	500-00 रु०	
36	स्कूल जिसमें 500 या उससे अधिक विद्यार्थी हों	800-00 रु०	
37	मॉल	5000-00 रु०	
38	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, डैन्टल क्लीनिक, होम्योपैथी क्लीनिक, मेडीकल स्टोर, डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक क्लीनिक, मेडीकल स्टोर, डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी सेंटर, एक्सरे क्लीनिक, अल्ट्रासाउन्ड क्लीनिक, एमओआरओआई सेंटर, सीओ10 स्कैन सेंटर	1000-00 रु०	
39	नर्सिंग होम/अस्पताल 30 बेड्या से कम	3000-00 रु०	
40	नर्सिंग होम/अस्पताल 30 बेड्या व उससे अधिक	5000-00 रु०	
41	छात्रावास 30 कमरे से कम	1500-00 रु०	
42	छात्रावास 30 कमरे या उससे अधिक	2000-00 रु०	
43	उच्च शिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	2000-00 रु०	
44	विश्वविद्यालय	5000-00 रु०	
45	कोथिंग इन्स्टीट्यूट 100 से कम विद्यार्थी	2000-00 रु०	
46	कोथिंग इन्स्टीट्यूट 250 व उससे अधिक विद्यार्थी	3000-00 रु०	
47	वर्कशॉप/फैक्ट्री 1000 वर्ग मीटर से कम	1000-00 रु०	
48	वर्कशॉप/फैक्ट्री 1000 वर्ग मीटर से अधिक	2000-00 रु०	
49	पेट्रोल पम्प	1500-00 रु०	
50	शोरूम 1000 वर्ग फुट से कम	1000-00 रु०	
51	शोरूम 1000 वर्ग फुट से अधिक	1500-00 रु०	
52	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बीमा कार्यालय आदि	1000-00 रु०	
53	वाहन सर्विस सेंटर (टू-व्हीलर)	1000-00 रु०	
54	वाहन सर्विस सेंटर (फोर-व्हीलर)	2000-00 रु०	
55	लघु व कुटीर उद्योग (केवल गैर खतरनाक) अपशिष्ट 10 किग्राम प्रतिदिन	500-00 रु०	
56	मोटावा, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अपशिष्ट	3000-00 रु०	
57	उत्सव हाल एवं मेला, प्रदर्शनी इत्यादि 3000 वर्गमीटर तक (प्रति दिन)	2000-00 रु०	
58	उत्सव हाल एवं मेला, प्रदर्शनी इत्यादि 3000 वर्गमीटर तक (प्रति दिन)	5000-00 रु०	
59	अन्य जो ऊपर चिन्हित नहीं है	नगर पालिका के आंकलन के अनुसार	

नोट :-

- प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशाली अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार दिये धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।
- यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- विक्रा/बेसहारा मिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पालिका परिषद् से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का अधिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हों, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अनुपूरुप साहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद् जर्हनीगराबाद से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत होगी।
- प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में प



## न्यूज़ ब्रीफ

## नारी शक्ति सम्मान समारोह में डॉ. पल्लवी सम्मानित



सम्मानित की गई डा .पल्लवी तिवारी ।

**सुलतानपुर, अमृत विचार :** अंतरराष्ट्रीय महिला अपराध उन्मूलन दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश यूथ एंसेम्बलिंग द्वारा सहकारिता भवन, हजरतगंज में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रदेशभर से चयनित 62 महिलाओं को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और कैसर जागरूकता को लेकर उल्लेखनीय कार्य करने के लिए डॉ. पल्लवी तिवारी, सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद को भी नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। सम्मानित 62 महिलाओं में 25 सरकारी संस्थानों की महिलाएं तथा शेष सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाएं शामिल रही।

**शादी समारोह में मोबाइल चोरी, केस कादीपुर, सुलतानपुर, अमृत विचार :** शेखपुर गांव में आयोजित शादी समारोह के दौरान एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जैनपुर जिले के कामाखुर्द ईशानपुर निवासी शिवकुमार वर्मा 23 नवंबर की शाम शेखपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के दौरान किसी ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। पीड़ित द्वारा सोमवार को दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

**शराब के नशे में महिला से मारपीट, केस दर्ज कादीपुर, सुलतानपुर, अमृत विचार :** शराब के नशे में घर पर पहुंचकर एक महिला से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के कलिकापुर गांव निवासी राधा देवी पत्नी शेर बहादुर ने आरोप लगाया कि 21 नवंबर को रात लगभग साढ़े आठ बजे विपक्षी शराब के नशे में उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने डंडे तथा ताल-बुरों से उनकी पिटाई कर दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सोमवार को मिली तहरीर के आधार पर गांव के ही मनोज यादव के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

## हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक है धर्म ध्वजा

जलालपुर, अंबेडकरनगर

**अमृत विचार**। श्रीराम मंदिर पर फहराया गया धर्म ध्वज केवल धर्म ध्वजा ही नहीं, बल्कि विश्व का न्याय ध्वज है। हजारों कार्य सेवकों का बलिदान और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक है। यह मंदिर और ध्वज उस ऐतिहासिक काल का संदेश भविष्य में देता रहेगा। उक्त बातें विहिप के जिलाध्यक्ष हृदय मणि मिश्र ने गायत्री मंदिर में ध्वज फहराने का लाइव प्रसारण देखने के बाद कहीं। कि इस अवसर पर प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख आरएसएस अखिलेश, दिलीप, जिला संरक्षक राम आशीष, मीरा पांडे, बृजेश सिंह, आदित्य, संजय सहित नगर और

**अमृत विचार:** स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए गए आरोपी मोहित को मंगलवार को 10 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहित को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया था। मंगलवार को सजा के बिंदु

## हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक है धर्म ध्वजा

**जलालपुर, अंबेडकरनगर, अमृत विचार:** श्रीराम मंदिर पर फहराया गया धर्म ध्वज केवल धर्म ध्वजा ही नहीं, बल्कि विश्व का न्याय ध्वज है। हजारों कार्य सेवकों का बलिदान और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक है। यह मंदिर और ध्वज उस ऐतिहासिक काल का संदेश भविष्य में देता रहेगा। उक्त बातें विहिप के जिलाध्यक्ष हृदय मणि मिश्र ने गायत्री मंदिर में ध्वज फहराने का लाइव प्रसारण देखने के बाद कहा कि इस अवसर पर प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख आरएसएस अखिलेश, दिलीप, जिला संरक्षक राम आशीष, मीरा पांडे, बृजेश सिंह, आदित्य, संजय सहित नगर और प्रखंडों के प्रमुख पदाधिकारी सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

## पेशकार व कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लंभुआ, सुलतानपुर, अमृत विचार : नजूल भूमि को कूटरचरा कर अपने नाम आवंटित कराने और राजकीय अभिलेखों एवं कंप्यूटर आईडी-पासवर्ड में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में तहसीलदार के पेशकार और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला एसडीएम रीडर की तहरीर पर दर्ज हुआ है। प्राथमिक जांच के बाद डीएम पहले ही प्रत्येकार को निर्बंधित कर कादीपुर अटेंच कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सुलतानपुर कोतवाली देहात क्षेत्र के बभनगांव गांव निवासी शरद सिंह करीब 15 वर्ष पहले मूलक आश्रित कोटे से लंभुआ तहसील में नियुक्त हुए थे। आरोप है कि उन्होंने लगभग दो वर्ष पूर्व तत्कालीन एसडीएम वंदना पांडेय को गुमराह कर अपने घर के बगल रिपेत कीमती नजूल भूमि को अपने नाम आवंटित कर लिया।

**● श्रीराम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर विहिप के जिलाध्यक्ष बोले**

प्रखंडों के प्रमुख पदाधिकारी सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। **राम मंदिर पर ध्वज धर्म, संकल्प और मर्यादा का प्रतीक :** जहांगीरगंज: अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने के बाद बीजेपी और हिन्दूवादी संगठनों में खुशी का माहौल है। नेताओं ने इसे गर्व का पल और नए युग की शुरुआत बताते हुए कहा कि यह ध्वज धर्म, संकल्प और मर्यादा का प्रतीक है। यह आयोजन देश भर में उत्सव और खुशी का प्रतीक भी बन गया है। इस अवसर पर उत्सव का माहौल है और लोग इस

**संग्रह अमीन हत्याकांड में इंस्पेक्टर तलब** संवाददाता, सुलतानपुर : अमेठी के भदौर गांव में संग्रह अमीन सुरेश यादव व भतीजे बृजेश यादव की हत्या मामले में कोर्ट न्यायाधीश संस्था चौधरी के अवकाश पर होने से सुनवाई 1 दिसंबर तक टल गई। मामले में बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया आरोपी जलाजुद्दीन व अन्य की अर्जी पर अदालत ने अभियोजन गवाह इंस्पेक्टर अमर सिंह को जिरह हेतु तलब किया है।

पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोषी को जेल भेजने का आदेश दिया।

## गोवंश के अवशेष मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश

**लंभुआ, सुलतानपुर, अमृत विचार:** पिलखनी गांव के एक खेत में गोवंशों के कटे अवशेष मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर मिलीभगत और धनउगाही के आरोप भी लगाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद अवशेषों को जमीन में गड्ढा खुदवाकर दफन कराया। मामला लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के पिलखनी गांव का है, जहां खेत में सिर और पैर कटे गोवंश के कई अवशेष मिले। गांव वालों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने निरीक्षण करते हुए अवशेषों को दफन करवा दिया। उधर, व्यापारी नेता एवं

**धोखाधड़ी व कूटरचना के गंभीर मामले में आरोपी की उन्मोचन अर्जी खारिज** संवाददाता, सुलतानपुर : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी, कूटरचना व जालसाजी संबंधी गंभीर आरोपों में कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के घरहाखुर्द निवासी आरोपी मोहम्मद युनुस द्वारा दायर उन्मोचन (डिस्चार्ज) अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी ने दो साल पूर्व दर्ज हुए केस में यह कहते हुए उन्मोचन की मांग की थी कि प्राथमिकी गलत तथ्यों पर आधारित है और उसके विरुद्ध उल्लब्ध नहीं है। आरोपी ने यह भी कहा कि मृतक युसुफ अली हस्ताक्षर करते थे, अतः वसीयत को फर्जी बताया गलत है तथा नायब तहसीलदार नगर द्वारा पूर्व में संपतित उसके नाम दर्ज की जा चुकी है। अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने वादी चांद बाबू की तरफ से उन्मोचन अर्जी पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा आरोपी ने छल, धोखा और कूटरचना कर दो फुटों की फर्जी वसीयत तैयार करवाई, जिस पर मृतक युसुफ अली के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये। वादी का कहना है कि आरोपी ने यह वसीयत तैयार कराकर वर्ष 1993 में अपने पक्ष में दाखिल खारिज करा ली थी, जबकि उस समय वादी नाबालिग था और उसकी नानी मुकदमेबाजी करने में असमर्थ थी। कोर्ट ने वादी पक्ष व बचाव पक्ष को सुनने के बाद पाया कि आरोप हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और आरोपी के उन्मोचन का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट ने आरोपी की उन्मोचन अर्जी खारिज कर आरोप तय करने के लिए 17 जनवरी की तारीख नियत की है।

घटना कोतवाली लंभुआ क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता किशोरी की मां ने आरोप लगाया था कि 10

सितंबर 2018 को आरोपी मोहित उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पखवाड़े

**अतिक्रमण से 11 फीट हुई 25 फीट की सड़क** सुलतानपुर, अमृत विचार : पयागीपुर के पास शंकर बिहार कॉलोनी में सड़क पर हुए अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि अतिक्रमणकारी द्वारा सड़क पर कच्चा कर सरकारी नियमों को खुली चुनौती दी जा रही है। शंकर बिहार कॉलोनी में निवास कर रहे एक व्यक्ति पर आरोप है कि उन्होंने सड़क पर अवैध निर्माण कर दिया है। नगरपालिका अभिलेखों के अनुसार यहां 25 फीट चौड़ी सड़क दर्ज है, लेकिन उनके घर के सामने सड़क सिकुड़कर मात्र 11 फीट रह गई है। इतना ही नहीं, सड़क पर कंटीले वृक्ष भी लगा दिए गए हैं, जिससे मोहल्लेवासियों का आवागमन और भी बाधित हो रहा है। अधिवक्ता शिशिर कुमार सिंह, जो जनहित के मुद्दों को निर्भीकता से उठाने के लिए जाने जाते हैं, ने इस मामले की लिखित शिकायत अध्यक्ष नगर पालिका, डीएम, एसडीएम और सभासद पयागीपुर सहित उच्च अधिकारियों को भेजी है।

# दूल्हा बारात लेकर नहीं आया, पुलिस करती रही इंतजार

जलालपुर, अंबेडकरनगर

**अमृत विचार**। शादी का भरोसा देकर दो वर्ष तक दैहिक शोषण, मारपीट और धमकी देने के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरा जाल बिछाया, लेकिन आरोपी दूल्हा बारात लेकर ही नहीं पहुंचा। जिसके चलते पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। कोतवाली पुलिस पूरे रात इंतजार करती रही, लेकिन आरोपी के न आने से कार्रवाई अस्थ में रह गई। यह मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है।

बता दें कि 22 वर्षीय पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि वह वर्ष 2022 से बंगलुरु में निजी

**मिली मायूसी**

**● शादी का झांसा देकर शोषण के आरोपी पर दर्ज किया गया केस**  
**● पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दे रही है दबिश**

नौकरी कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान अश्विनी कुमार निवासी नारायणपुर कला थाना दोस्तेपुर जनपद सुलतानपुर से हुई। आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और दोनों साथ रहने लगे। आरोप है कि पीड़िता की नौकरी की पूरी सैलरी भी आरोपी अपने पास रखता था। पीड़िता के अनुसार पिछले दो वर्षों से संबंध बनाए रखने के बाद आरोपी का

जलालपुर, अंबेडकरनगर

अमृत विचार। मंगलवार को जैतपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं और

**श्रद्धा पूर्वक मनाया गया गुरुपर्व**

टोंडा, अंबेडकरनगर। गुरु तेग बहादुर महाराज के 350 साला शताब्दी शहीदी गुरु पर्व को समर्पित कार्यक्रम गुरुदाा गुरु सिंह सभा टोंडा में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पांच दिवसीय प्रभात फेरी सुबह नगर भ्रमण करते हुए गुरुद्वारा साहिब पर संपन्न हुई। 23 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में साहिब अखंड पाठ आरंभ किए गए, जिनकी समाप्ति मंगलवार की सुबह हुई। वहीं सुखमणि साहिब का पाठ भजन-कीर्तन का कार्यक्रम के बाद गुरु का लंगर लोगों ने छका। शाम के दौरान साहिब में बच्चों द्वारा शहीदी पर्व पर कथा विचार व भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। यहां संरक्षक राकेश सलूजा, प्रधान त्रिलोक सिंह, पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह, बबलू, संकेतलई अंशु बगल, सतपाल सलूजा, कुशराल सिंह, हरजित सिंह, हरजीत सिंह, गुरदीप सिंह, हरनशी सिंह रहे।

**पूर्व मंत्री के मुकदमे में गवाह के खिलाफ वारंट** संवाददाता, सुलतानपुर : एमपी- एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री जंग बहादुर के खिलाफ चल रहे हत्या के मुकदमे में मंगलवार को कोर्ट न्यायाधीश राकेश ने अभियोजन गवाह जगदम्बा के गैरहाजिर रहने पर उसके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख नियत की है। जामो थाना क्षेत्र के गौरा पुरे मतक निवासी शिव कुमार ने अपने भाई राजकुमार यादव की हत्या के आरोप में 17 अप्रैल 2001 को मुकदमा दर्ज कराया था।

**पूर्व विधायक संतोष पांडेय के केस में बहस 5 को** संवाददाता, सुलतानपुर : लंभुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडेय सहित 12 के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/ एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की विशेष अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। विधायक के वकील संतोष पांडेय ने बताया कोर्ट ने बहस के लिए 5 दिसंबर की तारीख नियत की है। लंभुआ के पूर्व सपा विधायक सन्तोष पांडेय व सह आरोपितों पर फरवरी 2022 में दो एफआईआर लंभुआ व कोतवाली देहात थाने में लिखाई गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी रहे बीडीओ संदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा की। जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन हुआ।

चार्जशीट दाखिल की। मामले का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चला। विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने आरोपी को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

# कार की टक्कर से व्यवसायी की मौत



सीएचसी अखंडनगर में हंगामा करते परिजन व इनसेट में कमलेश की फाइल फोटो।

**● घटना से गुस्साये परिजनों ने सीएचसी पर किया हंगामा**

सहित अन्य लोग मौजूद थे। चायल कमलेश को लेकर परिजन सीएससी अखंडनगर पहुंचे, जहां डॉक्टर विवेक वर्मा ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र पर हंगामा कर दिया। गुस्साए लोग खिड़कियां तोड़ने लगे और स्वास्थ्य कर्मचारियों व पुलिस से भी बदसलूकी की गई। बाद में पुलिस ने समझाकर स्थिति को सामान्य कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुत्र की तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

व्यवहार अचानक बदल गया। वह मारपीट, गाली-गलौज और जबरन दैहिक शोषण करने लगा। दीपावली पर घर लौटने पर पीड़िता को पता चला कि आरोपी अश्विनी की शादी 23 नवंबर को किसी अन्य युवती से तय कर दी गई है। यह सुनकर वह सदमे में आ गई। पीड़िता ने बताया कि उसके अश्विनी से बने संबंधों के चलते वह दो महीने की गर्भवती भी है। फोन करने पर आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी की शादी रुकवाने, मेडिकल परीक्षण कराने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग

# महिलाओं को उत्पीड़न से बचने के बारे में किया जागरूक

जलालपुर, अंबेडकरनगर

अमृत विचार। मंगलवार को जैतपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं और

जलालपुर, अंबेडकरनगर। गुरु तेग बहादुर महाराज के 350 साला शताब्दी शहीदी गुरु पर्व को समर्पित कार्यक्रम गुरुदाा गुरु सिंह सभा टोंडा में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पांच दिवसीय प्रभात फेरी सुबह नगर भ्रमण करते हुए गुरुद्वारा साहिब पर संपन्न हुई। 23 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में साहिब अखंड पाठ आरंभ किए गए, जिनकी समाप्ति मंगलवार की सुबह हुई। वहीं सुखमणि साहिब का पाठ भजन-कीर्तन का कार्यक्रम के बाद गुरु का लंगर लोगों ने छका। शाम के दौरान साहिब में बच्चों द्वारा शहीदी पर्व पर कथा विचार व भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। यहां संरक्षक राकेश सलूजा, प्रधान त्रिलोक सिंह, पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह, बबलू, संकेतलई अंशु बगल, सतपाल सलूजा, कुशराल सिंह, हरजित सिंह, हरजीत सिंह, गुरदीप सिंह, हरनशी सिंह रहे।

## उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएलओ को मिला सम्मान

जिला संवायदाता, अंबेडकरनगर।

**अमृत विचार**। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत बूथ संख्या-244 प्राथमिक विद्यालय धौरहरा विधानसभा क्षेत्र-278 टोंडा की बीएलओ आशा देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने अपने बूथ के सभी 735 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर समयबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत प्रपत्र एकत्रित किए तथा उन्हें बीएलओ ऐप पर पूर्णतः डिजिटाइज कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उनके इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष



बीएलओ आशा देवी को सम्मानित करते जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला। प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी बीएलओ और संबंधित कार्मिक आपसी समन्वय के साथ मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर निर्धारित समयसीमा में उनका शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के दौरान उपजिलाधिकारी टोंडा शशि शेखर सहित आदि उपस्थित रहे।





# राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराते ही छलक पड़े श्रद्धा के आंसू

## भावुक होकर बोले श्रद्धालु - रामराज्य आंखों के सामने हुआ जीवंत, अब काशी व मथुरा में भी हो धर्म ध्वजा का आरोहण

कमर अब्बास, अयोध्या

**अमृत विचार:** एक ऐतिहासिक क्षण को देखने की आतुरता आमजनमानस के दिलों में हिलोहर मारती महसूस हुई। मौका विवाह पंचमी का रहा जब अयोध्या के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज लहराया। यह त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के विवाह की स्मृति को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजारोहण किया तो आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू छलक पड़े।

भावुक श्रद्धालु बरबस बोले



राम दरबार की आरती उतारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

अमृत विचार

पड़े- मानो राम राज्य आज आंखों के सामने जीवंत हो गया। कहा, अब काशी और मथुरा में भी धर्म ध्वजारोहण का आरोहण होना चाहिए। रामपथ पर ध्वजारोहण की प्रतीक्षा में उमड़े श्रद्धालुओं ने कहा यह ध्वजारोहण न केवल

धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह हिंदू संस्कृति की विजय और एकता का संदेश भी देता है। दिल्ली से अयोध्या पहुंचे वृद्ध राम भक्त रामदास ने कहा राम मंदिर का यह ध्वज न केवल कपड़े का टुकड़ा है, बल्कि सदियों की प्रतीक्षा का फल

है। बोले, आज सब कुछ साकार हो रहा है। राम-राज्य आज जीवंत हो रहा है। मणि माता मंदिर की पुजारी जगन्नाथदास ने कहा विवाह पंचमी पर यह ध्वजारोहण हमें याद दिलाता है कि राम-सीता का प्रेम अमर है। हर घर में राम राज्य होना चाहिए। मुंबई से अयोध्या ध्वजारोहण समारोह के लिए आयीं अंजलि ने कहा मन अयोध्या में है और यह ध्वज मेरी आस्था का नया अध्याय है। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

सनातन समाज के लिए बहुत कुछ

कर दिया। पूर्व सैनिक अशोक कुमार ने कहा जैसे लक्ष्मण ने राम की रक्षा की, वैसे ही यह मंदिर हमारी संस्कृति की ढाल है। ध्वज लहराया, गर्व हुआ। भोपाल की गृहिणी शंकुतला ने बताया कि

**भव्य सुंदरकांड एवं भजन संध्या का आयोजन**

मसीली, बाराबंकी : अमृत विचार। बाबा रामशरण दास भागवत दास कुटी हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार फूल मालाओं से किया गया और मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में बदल गया। मंदिर के पुजारी बाबा रामलाल दास ने श्रीराम स्तुति और गणेश वंदना के साथ भजन संध्या का शुभारंभ किया। भक्तों ने सुंदरकांड का पाठ किया और रामभक्ति के मधुर भजनों से वातावरण मंत्रमुग्ध कर दिया। अंकिट वर्मा और अन्य कलाकारों ने भजन प्रस्तुत कर दरबार में उपस्थित सभी लोगों के दुख-दर्द दूर किए। कार्यक्रम के अंत में हनुमान जी की भव्य आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहित वर्मा, श्रिष्ठ सैनी, चंद्रपाल यादव, रजत वर्मा, दीपक नांग, पंकज वर्मा, शिवा नाग, डॉ. सत्रोहन लाल, अशोक काश्यप सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे।

वह रोज रामचरितमानस पाठ करती हैं। धर्म ध्वजारोहण के बाद भी राम नाम जपते रहो, सब सिद्ध होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हनुमान दास ने कहा, भगवा ध्वज हवा में लहराया, तो लगा जैसे हनुमान जी स्वयं आ गए। राम भक्ति में कोई सीमा नहीं। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। चेन्नई से आई छात्रा राधा ने कहा दक्षिण से उत्तर तक राम का संदेश पहुंचा। यह ध्वजारोहण हमें एकजुट

करता है। भगवान राम की जय हो। लखनऊ के व्यवसायी शिवा शर्मा ने कहा सुरक्षा चाक-चौबंद, उत्सव भव्य—यह राम राज्य की शुरुआत है। ध्वज फहराया, तो आंखें नम हो गईं। नगर के रिकाबगंज से आई मंजू कसौंधन ने कहा कि सुबह आने में कोई परेशानी नहीं हुई, ध्वजारोहण समारोह हम सबके लिए गौरव की बात है। कहा आज सांझ दीप प्रज्वलित कर अपनी आस्था व्यक्त करेंगी।



**हिन्दी दैनिक अमृत विचार**

की 6वीं वर्षगांठ पर

**सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं**

**सोनू जायसवाल**

प्रधान प्रतिनिधि

**भित्वा बाजार हाटा कुशीनगर।**



**हिन्दी दैनिक अमृत विचार**

की 6वीं वर्षगांठ पर

**सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं**

**ओम इण्टरप्राइजेज**

SALE & SERVICE

**नोट: हमारे यहाँ उड़ान कम्पनी का ई-रिक्शा उपलब्ध है!**

**प्रो. चन्दन कुमार जायसवाल**

रक्षकल पैलेस के ठीक सामने, उत्तर पट्टी पर, हाटा-कुशीनगर

मो:05 8726155311, 9450478790 7379398112

## कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच।

### प्रगति के पथ पर अग्रसर नगरपालिका परिषद बहराइच

धनराशि रु0 लाख में							
क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	अभ्युक्ति
<b>वन्दन योजना</b>							
1	नगर पालिका परिषद बहराइच में अवस्थित गोलवाघाट के निकट मरीमाता मन्दिर के सामने सरयू नदी के तट पर अवस्थापना सुविधाओं छादक घाट, बेन्च का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु एल0ई0डी0 लाईट (मय पोल फिक्सिंग सहित) एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2023-24	168.22	84.11 प्रथम किश्त	60 प्रतिशत	84.11	प्रथम किश्त के रुप में आवंटित धनराशि का पूर्ण उपभोग कर लिया गया है।
2	नगर पालिका परिषद, बहराइच के मो0 सलारगंज में गुल्लावीर मन्दिर के सामने काली मन्दिर के पास श्रद्धालुओं के लिए शेड (छादक) का निर्माण व प्रकाश व्यवस्था एवं बैठने हेतु बेच लगवाये जाने का कार्य।	2023-24	63.039	31.519 प्रथम किश्त	70 प्रतिशत	23.30	
<b>मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना</b>							
1	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड में आशीष सिंह के मकान से श्री जय सिंह के मकान के आगे तक इंटरलाकिंग का कार्य।	2022-23	13.857	13.857	पूर्ण	11.72	आंशिक भुगतान शेष
2	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर में श्री एस0वी0 तिवारी के मकान से कर्बला तक इंटरलाकिंग का कार्य।	2022-23	17.043	8.521	पूर्ण	10.606	
3	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड के पटेल नगर कालोनी में श्री धर्मेन्द्र चौधरी के मकान से पवन वर्मा के मकान तक व श्री अखिलेश अवस्थी के मकान से नन्दू के मकान तक और श्री बाबूराम मौर्य के मकान से सूर्य लाल मौर्य के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का कार्य।	2023-24	18.587	18.587	पूर्ण	18.587	
4	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड के पटेल नगर कालोनी में डा0 पी0के0 वर्मा के मकान से सुशील श्रीवास्तव के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का कार्य।	2024-25	29.986	14.993 प्रथम किश्त	पूर्ण	-	त्रिस्तरीय समिति से कार्य का स्थलीय निरीक्षण करवाकर भुगतान 5की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।
5	मो0 सरस्वती नगर में श्री अनिल सिंह के मकान से सन्नी श्रीवास्तव के मकान होते हुए मनोज सिंह के मकान तक सी0सी0 और नाली निर्माण कार्य।	2024-25	36.13	9.03 प्रथम किश्त	80 प्रतिशत	-	तदैव
6	मो0 रायपुर राजा में श्री धर्नजय मिश्र के मकान से राकेश चौधरी के मकान तक सी0सी0 और नाली निर्माण कार्य।	2024-25	19.73	4.93 प्रथम किश्त	50 प्रतिशत	-	तदैव
7	मो0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय में सर्वजीत के मकान से सुड्डू यादव के मकान तक सी0सी0 और नाली निर्माण कार्य।	2024-25	4.38	1.10 प्रथम किश्त	पूर्ण	-	तदैव
8	मो0 सरस्वती नगर में श्री अनिल सिंह के मकान से संतोष सिंह के मकान तक सी0सी0 और नाली निर्माण कार्य।	2024-25	4.31	1.08 प्रथम किश्त	पूर्ण	-	तदैव
9	मो0 सरस्वती नगर में श्री रंजीत सिंह राठौर के मकान से रामप्रीत के मकान तक सी0सी0 और नाली निर्माण कार्य।	2024-25	5.21	1.30 प्रथम किश्त	पूर्ण	-	तदैव
<b>सीवरेज एवं जल निकासी योजना</b>							
1	लखनऊ-बहराइच मार्ग पर मौर्या ट्रैक्टर से राजस्थान मार्बल शाप तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।		38.46		पूर्ण		
2	लखनऊ-बहराइच मार्ग पर एैंक्सिस बैंक से सैनिक किड्स बॉडिंग स्कूल के पास तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।		40.00		50 प्रतिशत	-	
3	लखनऊ-बहराइच मार्ग पर सैनिक धर्मकांटा से होटल शगुन पैलेस के पास तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।		39.82		30 प्रतिशत	-	
4	लखनऊ-बहराइच मार्ग पर सन्नी ट्योटा शाप से पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।		35.02		पूर्ण	-	
5	लखनऊ-बहराइच मार्ग पर बन्जारी मोड से अय्यूब के मकान तक आर0सी0सी0 गहरी नाली का निर्माण कार्य।		35.50		30 प्रतिशत	-	
<b>झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना</b>							
1	वार्ड रायपुरराजा में स्थित समय बेरिया माता तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2023-24	50.00	25.00	पूर्ण	24.94	आवंटित धनराशि के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है।

अमृत विचार

**क्लासीफाइड**

विज्ञापन हेतु अमृत विचार कार्यालय में सम्पर्क करें

**सूचना**  
सूचित किया जाता है, मेरा हाईस्कूल का अंकपत्र वास्तव में कहीं खो गया है। जिसका अनुक्रमांक- 1101786 एवं उत्तीर्ण वर्ष 2005 है। नीलम यादव पुत्री राजबहादुर यादव ग्राम-लम्बुई, पो. मेजरगंज, जिला रायबरेली मो.नं. 9918760811

**वर्गीकृत विज्ञापन हेतु अमृत विचार अखबार के कार्यालय में सम्पर्क करें**

**सूचना**  
सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम कुमारी मानसी पुत्री मनीष तिवारी है। अब मेरा नाम परिवर्तित हो गया है। मेरा नाम **अनुष्का तिवारी पुत्री मनीष तिवारी**, निवासी कुतुबपुर, शीसामऊ, जिला गोंडा पिन कोड नं0- 271502 से जाना पहचाना जाए। उ0 प्र0

**सूचना**  
मैं रशीदा पत्नी मुशताक खान निवासिनी- शादाब कालोनी महानगर लखनऊ- 226006, मेरा नाम पासपोर्ट में गलती से रशीदा बेगम (Rashida Begum) अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम रशीदा (Rashida) है मुझे आजसे रशीदा के नाम से जाना व पहचान जाये।

**सूचना**  
मैंने अपना नाम कमालुददिन से बदल कर कमालुद्दीन पुत्र श्री नसीर अहमद रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। कमालुद्दीन पुत्र श्री नसीर अहमद, निवासी- 494/30, सराय हसनगंज, डालीगंज, निराला नगर थाना-हसनगंज, लखनऊ

**सूचना**  
मैंने अपना नाम SANTOSH KUMAR से बदल कर SANTOSH KUMAR YADAV रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। S/O: NANHKAU YADAV R/O:3/181, VINAMRA KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW UTTAR PRADESH 226010

**सूचना**  
सूचित किया जाता कि मैं ABDUL HAQ से नाम बदलकर ABDUL HAQ FARIDI रख लिया है। अब भविष्य मे मुझे मेरे बदले हुए नाम से व पहचाना जाये। S/O-LATE ABDUL RASHID निवासी-एल-132 सेक्टर-L LDA कॉलोनी आशियाना कानपुर रोड लखनऊ उ0प्र0

**सूचना**  
मैं ALI JAHEER पुत्र मोहसिन अली नि0-390 /56ख, न्यू नजफ रोड, रुस्तम नगर, लखनऊ। मेरा नाम की स्पेलिंग पासपोर्ट में ALI ZAEHER दर्ज हो गई है जोकि गलत है सही स्पेलिंग ALI JAHEER इसे ही सारे अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

**सार्वजनिक सूचना**  
सूचित हो कि मैं बदी प्रसाद पुत्र विश्वनाथ निवासी- जयकरनपुर,मजरे बहरौली परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला-बाराबंकी, अपने पुत्र कमलेश के किया कलापों से तंग आकर उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों (बीबी व बच्चों) को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अब मेरा उनसे कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा अपने कृत्यों के वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

**सार्वजनिक सूचना**  
सूच्य हो कि मेरे एनटीपीसी सेवा अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश VIDYA WATI व जन्मतिथि 01/07/1972 अंकित हो गया है, जो गलत है। जबकि अन्य अभिलेखों में उनका नाम VIDYAVATI व जन्मतिथि 16/10/1970 है, जो सही है। मेरे पिता का सही नाम GANESH DEEN CHAURASIA है। अतः मेरे एनटीपीसी सेवा अभिलेखों में मेरी पत्नी और पिता का सही नाम दर्ज किया जाए। फूल चंद्र चौरसिया पुत्र श्री गनेश दीन चौरसिया निवासी – निकट कबीर चौराहा, खोजनपुर ऊंचाहार – रायबरेली।

**बेदखली सूचना**  
मेरे पुत्र बशीर अख्तर का कार्य व्यवहार व चाल चलन ठीक नहीं है। बशीर अख्तर के गलत आचरण और उत्प्रीड़न से तंग आकर मैंने उसे अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अब उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। बिबो बानो पत्नी स्व. मो. शब्बीर निवासी गाम-इब्राहिमपुर, मजरे हेमनापुर थाना व तहसील बत्तीदाय जिला सुलतानपुर

**सूचना**  
सूचित हो मैं अपने पुत्र **सुजीत कुमार व बहू भीना कनौजिया** के गलत आचरण व व्यवहार व उत्प्रीड़न से तंग आकर इन दोनों लोगों से अपने सभी प्रकार के सम्बन्ध समाप्त करते हुए इन्हें अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं तथा आज से इनके द्वारा किसी भी प्रकार के किये गये कार्यों के लिए ये स्वयं जिम्मेदार होंगे और शपथी व उसका परिवार किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। -**शिवकिशोर पुत्र स्व0 परीदीन निवासी-म0नं0-538क /764, शिवपुर, त्रिवेणी नगर-3, जिला लखनऊ, उ0प्र0**



**प्रमिता सिंह**

अधिशाषी अधिकारी

नगरपालिका परिषद, बहराइच



**श्रीमती सुधा देवी**

अध्यक्ष

नगरपालिका परिषद, बहराइच



**अक्षय त्रिपाठी**

जिलाधिकारी, बहराइच

**श्री रघुकुल महिला विद्यापीठ**

**सिक्कि लान्स-गोण्डा (30प्र0)**

(सम्बद्ध: मॉ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर)

9415458212, 9838989000, 9648469000, 9984223300

**आवश्यकता**

महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर माइक्रोबायोलोजी, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान विषयों में प्राध्यापन कार्य हेतु सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित है:-  
**अर्हता**— सहायक आचार्य पद हेतु स्नातक उपाधि द्वितीय श्रेणी, सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको सहित यूजीसीसी0 रेगुलेशन-2016 प्रमाणपत्र सहित पी-एच.डी.उपाधि अथवा यूजीसीसी0 नेट प्रमाण पत्र।  
**वेतन**— यूजीसीसी0/उत्तर प्रदेश शासन/मॉ. पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के मानकानुसार।  
**नोट**— यूजीसीसी0 द्वारा निर्गत नवीनतम शैक्षिक अर्हता एवं मानकों के अनुसार नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही की जायेगी।  
इच्छुक अर्ह्यर्थी विज्ञापन की तिथि से 14 दिवस के अन्दर आवेदन-पत्र पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा कर अपने शैक्षिक अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों/उपाधिपत्रों एवं अनुभव की स्वच्छ छायाप्रति संलग्न कर आवेदन करें।  
**प्रबन्धक**

**नन्दिनी नगर पी0जी0 कालेज**

**नवाबगंज-गोण्डा (उ0प्र0)**

(सम्बद्ध: मॉ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर)

9415458212, 9838989000, 9648469000, 9984223300

**आवश्यकता**

महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत परास्नातक स्तर पर अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, गणित एवं प्राणि विज्ञान विषयों में प्राध्यापन कार्य हेतु सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित है:-  
**अर्हता**— परास्नातक सहायक आचार्य पद हेतु स्नातक उपाधि द्वितीय श्रेणी, सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको सहित, यूजीसीसी0 रेगुलेशन-2016/2018 प्रमाणपत्र सहित पी-एच0डी0 उपाधि अथवा CSIR or UGC NET CERTIFICATE.  
**वेतन**— यूजीसीसी0/उत्तर प्रदेश शासन/मॉ. पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के मानकानुसार।  
**नोट**— यूजीसीसी0 द्वारा निर्गत नवीनतम शैक्षिक अर्हता एवं मानकों के अनुसार नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही की जायेगी।  
इच्छुक अर्ह्यर्थी विज्ञापन की तिथि से 14 दिवस के अन्दर आवेदन-पत्र पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा कर अपने शैक्षिक अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों/उपाधिपत्रों एवं अनुभव की स्वच्छ छायाप्रति संलग्न कर आवेदन करें।  
**प्रबन्धक**



जेंटल जाईंट का जाना

धर्मेन्द्र के निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक स्वर्णिम अध्याय मानो समाप्त हो गया। एक महान अभिनेता का जाना, सबको उदास कर गया, क्योंकि यह उस संवेदनशील, सौम्य और करिश्माई युग का अंत है, जिसने हिंदी फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धर्मेन्द्र ऐसे अभिनेता थे, जिन्होंने छह दशकों तक न केवल परदे पर बल्कि दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनके अभिनय और स्टारडम ने कई पीढ़ियों को आकार दिया। 60–70 के दशक में उभरते युवाओं के लिए वे गरिमामय, विनम्र और सहज रोमांस के प्रतीक थे। इसके बाद 80 का दशक आते-आते जब भारतीय दर्शक एक ऐसे नायक की तलाश में थे जो ताकत, मासूमियत और भावनात्मकता का अद्वितीय संगम हो, वे एक्शन हीरो के बतौर हिट हुए।

अनुपमा और हमराही जैसी फिल्मों में उनकी आंखों की गहराई और संवादों की सादगी रोमांटिक अभिनय का मानक बन गई। शोले में उनकी वीरू की भूमिका ने भारतीय सिनेमा को ऐसा चरित्र दिया, जो आज भी स्मृति और संस्कृति दोनों में जीवित है। इसी तरह युद्ध या धर्म-वीर जैसी फिल्मों में उनका तेज, ऊर्जा और प्रभावशीलता अद्वितीय रही। कॉमेडी में भी उनका सहज हास्य कौशल, कॉमिक टाइमिंग, इम्प्रोवाइजेशन दर्शकों के लिए हमेशा याद रहेगा। सत्यकाम ऐसी फिल्म थी, जिसने उनके सादगी और कलात्मक अभिनय का लोहा मनवाया। इस फिल्म में वे अपने किरदार की नैतिक दुविधाओं को जिस शांत गहराई से निभाते हैं, वह शायद ही किसी अभिनेता के लिए संभव हो। इसी तरह अनुपमा और चैने की चांदनी में उनका संयत अभिनय एक संवेदनशील अभिनेता की परिभाषा प्रस्तुत करता है। सिनेमा से बाहर निकलकर धर्मेन्द्र ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा सांसद बने। सीमित समय के बावजूद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सड़कों, जल प्रबंधन और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कार्य किया, हालांकि वे राजनीति में अपनी प्राकृतिक सहजता नहीं खोज पाए, पर उनकी नीयत और कोशिशों में ईमानदारी झलकती थी। धर्मेन्द्र महज कुशल अभिनेता ही नहीं थे, वे एक अत्यंत संवेदनशील, भावुक और मानवीय व्यक्ति भी थे। सच-कलाकारों की तकलीफ में साथ खड़े होना, नए कलाकारों को प्रोत्साहन देना और निजी जीवन में परोपकारिता जैसे गुण बताते हैं कि वे क्यों एक ‘जेंटल जाईंट’ कहे जाते थे। उनकी विरासत बहुआयामी है। वे बतौर एक्टर विविधता, निरंतरता और गुणवत्ता के प्रतीक थे, तो एक व्यक्ति के रूप में वे प्रेम, करुणा और गरिमा की मिसाल।

आने वाले समय में भारतीय सिनेमा जब भी अपने इतिहास के गौरवशाली अध्यायों को पलटेंगा, धर्मेन्द्र का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। उनके फिल्मी सफर, व्यक्तित्व और योगदान को देश अतंत काल तक याद रखेगा। हम सभी उन्हें भारतीय सिनेमा के उस अनोखे सितारे के रूप में स्वीकारते हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों के लिए आनंद, प्रेरणा और संवेदना का संसार रचा। यह सच है कि धर्मेन्द्र का जाना सिनेमा के एक युग का अंत है, पर उनके अभिनय, स्टारडम तथा अनूठे व्यक्तित्व की चमक हमेशा हमारे सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बनी रहेगी।

प्रसंगवश

‘हीमैन’ सियासत के परदे पर कभी न बन सका हीरो

धर्मेन्द्र लगभग छह दशकों तक बॉलीवुड के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे। उन्होंने शोले, सत्यकाम, चुपके-चुपके, फूल और पत्थर, बंदिनी जैसी अनेक फिल्मों में यादगार किरदार निभाए, पर सियासत की दुनिया में उनका सफर छोटा और किसी भी रूप में यादगार नहीं रहा। धर्मेन्द्र 2004 का लोकसभा चुनाव राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े और आराम से जीत गए। जिस शख्स ने कभी सियासत की बात तक नहीं की, जो इंटरव्यू में भी कहता था कि “मुझे तो बस फिल्में बनानी और करना पसंद है”, वही शख्स संसद पहुंच गया। जीत भी बड़ी शानदार मिली। करीब 60 हजार वोटों से, मगर उन्होंने फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा। राजनीति का उनका सफर यहीं खत्म हो गया।

दरअसल 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त राजस्थान में बीजेपी की लहर थी। वाजपेयी सरकार के अंतिम वर्ष थे। बीकानेर सीट पर पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था, जो जाट बहुल इलाके में पकड़ रखता हो और जिसकी लोकप्रियता से कांग्रेस का पुराना किला ढह जाए। जाट समुदाय में धर्मेन्द्र का जबरदस्त प्रभाव था। उनकी फिल्में गांव-गांव में हिट होती थीं। ‘शोले’ का वीरू, ‘चुपके चुपके’ का डॉ. परिमल, ‘यमला पगला दीवाना’ का देसी जवान- ये किरदार राजस्थान के गांवों में आज भी जिंदा हैं। बीजेपी को लगा कि अगर धर्मेन्द्र मैदान में उतर आए तो जीत पक्की।

खुद धर्मेन्द्र ने कई इंटरव्यू में बताया कि उनके बहुत करीबी दोस्त, बीजेपी के तत्कालीन नेता और राजस्थान के बड़े नेता (नाम उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया) बार-बार आग्रह करते रहे। बोले, “धरम जी, बस एक बार आ जाओ, इलाके के लिए बहुत कुछ कर सकते हो।” पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा, “मैं तो फिल्मों का आदमी हूं, मुझे ये सब नहीं आता।” मगर दोस्तों ने जिद पकड़ ली। अंत में धर्मेन्द्र मान गए। शर्त सिर्फ एक थी, ज्यादा प्रचार नहीं करना पड़ेगा, न ज्यादा भाषण देने पड़ेंगे।

धर्मेन्द्र का चुनाव प्रचार देखने लायक था। जहां दूसरे नेता सुबह से रात तक गांव-गांव गली-गली चिल्लाते थे, वहां धर्मेन्द्र बस दो-तीन बड़ी सभाएं करते और लौट आते। कभी जीप पर खड़े होकर हाथ हिलाते, कभी मंच पर बैठकर मुस्कुराते। भाषण? वो भी दो-चार लाइन का। “भाइयो-बहनों, मैं आपका अपना हूं। आपने मुझे फिल्मों में इतना प्यार दिया, अब एक बार संसद में भेज दो।” बस। लोगों को भाषण नहीं, उनका चेहरा चाहिए था। गांव का औरतें आशीर्वाद देने आतीं, बच्चे ऑटोग्राफ मांगते। एक बार तो किसी ने मंच पर चढ़कर कहा, “हीमैन जी, बस एक डायलॉग बोल दो!” और धर्मेन्द्र ने हंसते हुए बोल दिया, “किता मजनू है रे!” पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वोट उसी वक्त डल गया।

संसद में धर्मेन्द्र बहुत सक्रिय सांसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60%-65% रही, जो उस समय के कई सेंटिब्रिट्टी सांसदों से बेहतर थी, लेकिन आम सक्रिय सांसदों से कम। उन्होंने कुल 20-25 सवाल ही पूछे। ज्यादातर सवाल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वो भी लिखित में। मौखिक बहस में वो शायद ही कभी बोले हों। एक बार तो संदन में हसी का माहौल बन गया, जब स्पीकर ने उनका नाम पुकारा और धर्मेन्द्र जी उठे नहीं। बाद में पता चला कि वो शूटिंग के लिए मुंबई चले गए थे। विपक्ष ने खूब चुटकी ली, लेकिन जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बीकानेर में लोग कहते थे, “हमारे सांसद तो हीमैन हैं, बोलना क्या जरूरी है?”



भीतर को बाहर के आक्रमण से बचाओ।  
-रवींद्र नाथ टैगोर, साहित्यकार

नया एसआईएफ निवेशकों के लिए नया रास्ता



रजत मेहरोत्रा

वित्तीय एवं आर्थिक विशेषज्ञ

भारत में पिछले कुछ वर्षों में छोटे निवेशकों की भागीदारी बेहद तेजी से बढ़ी है। म्यूचुअल फंड उद्योग का आकार आज लाखों करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और SIP के माध्यम से हर महीने नए रिक्तों बन रहे हैं। इसी बदलते निवेश माहौल में सेबी ने छोटे निवेशकों को और सशक्त बनाने तथा उन्हें उन्नत निवेश रणनीतियों तक पहुंच दिलाने के लिए एक नई पहल की है- एसआईएफ (Specialized Investment Funds)। यह नया निवेश ढांचा मझोले निवेशकों को पारंपरिक म्यूचुअल फंड से भी आगे बढ़कर बेहतर और विविधतापूर्ण निवेश रणनीतियों का लाभ लेने का अवसर देता है।

SIF क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? SIF दरअसल म्यूचुअल फंड नियमों के अंतर्गत बनाई गई एक नई श्रेणी है, लेकिन इसकी संरचना और रणनीतियां पारंपरिक फंडों से कहीं अधिक उन्नत हैं। SIF निवेशकों का पैसा एकत्र करके प्रोफेशनल मैनेजर्स द्वारा ऐसे तरीकों में निवेश किया जाता है, जिनका उद्देश्य केवल बाजार के ऊपर जाने पर ही नहीं, बल्कि नीचे जाने पर भी अवसर तलाशना होता है। पारंपरिक म्यूचुअल फंड जहां केवल long-only यानी शेयर खरीदकर रखने की रणनीति पर काम करते हैं, वहीं SIF में long—short equity, sector rotation, tactical investing, hybrid strategies और derivatives का उपयोग शामिल हो सकता है। इसका मतलब है कि SIF निवेशक को अधिक लचीला और गतिशील निवेश विकल्प प्रदान करता है।

SIF और सामान्य म्यूचुअल फंड के बीच सबसे बड़ा अंतर निवेश की न्यूनतम सीमा और रणनीतियों का स्तर है। पारंपरिक म्यूचुअल फंड में कोई भी व्यक्ति 100 या 500 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकता है, जबकि SIF में न्यूनतम निवेश सीमा 10 लाख रुपये

निर्धारित की गई है। यह राशि बताती है कि SIF को उन निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो म्यूचुअल फंड से आगे बढ़कर अधिक उन्नत रणनीतियों का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन PMS या AIF जैसी हाई-टिकट सेवाओं की भारी लागत नहीं वहन कर सकते। PMS में जहां 50 लाख रुपये और AIF में एक करोड़ रुपये से शुरुआत होती है, वहीं SIF इन दोनों के बीच का एक संतुलित विकल्प है।

SIF की खासियत इसका रणनीतिक लचीलापन है। यह फंड बाजार में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न दोनों स्थितियों- राइजिंग और फॉलिंग मार्केट में लाभ कमाने की कोशिश कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब बाजार गिरता है, तब short positions और derivatives की मदद से फंड अपने निवेशक की पूंजी की रक्षा कर सकता है या मुनाफा भी कमा सकता है। वहीं, पारंपरिक म्यूचुअल फंड में यह अवसर सीमित होता है। भारत में लाखों छोटे निवेशक सिधे derivatives में जाकर बड़ा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उन्हें यह बाजार बहुत जटिल लगता है। ऐसे में SIF का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जोखिम परे और जटिल फैसलों को प्रोफेशनल मैनेजर्स संभालते हैं और निवेशक को तैयार रणनीति पर फायदा मिलता है।

SIF का एक मजबूत पहलू यह भी है कि इसमें म्यूचुअल फंड जैसी पारदर्शिता मिलती है। NAV की नियमित घोषणा, पोर्टफोलियो अपडेट, जोखिम-मीटर, वैल्यूएशन प्रक्रिया ये सभी सुविधाएं SIF में भी उपलब्ध रहती हैं। टैक्सेशन की काफी हद तक म्यूचुअल फंड जैसा ही है, जिससे निवेशक लंबे समय तक कुशलता से अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। PMS या कई AIF में टैक्स सिधे निवेशक के हाथ में लगता है, जबकि SIF की संरचना निवेशक के लिए ज्यादा tax-efficient साबित हो सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सचमुच



छोटे निवेशक के लिए है? न्यूनतम 10 लाख रुपये की सीमा होने के कारण यह निश्चित ही बहुत छोटे निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है, जिन्होंने SIP या म्यूचुअल फंड के माध्यम से पहले ही एक अच्छा corpus बना लिया है। आज भारत में करोड़ों लोग नियमित SIP करते हैं और कई निवेशकों का पोर्टफोलियो लाखों-करोड़ों की राशि छू चुका है। उन निवेशकों के लिए SIF एक next-level उत्पाद है, जहां वे अपने पोर्टफोलियो में उन्नत रणनीतियों का छोटा हिस्सा जोड़कर दीर्घकाल में बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

छोटे भारतीय निवेशकों के लिए SIF कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। पहला, यह उन रणनीतियों तक पहुंच दिलाता है, जो पहले सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए उपलब्ध थीं। दूसरा, SIF बाजार के ऊपर-नीचे दोनों स्थितियों में अवसर पैदा कर सकता है, जिससे लंबे समय में returns अधिक स्थिर हो सकते हैं। तीसरा, इसमें पारदर्शिता, नियमित जानकारी और कड़े नियम निवेशक को भरोसा देते हैं। चौथा, यह mutual fund और high-end investment products के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करता है, जो निवेशक अब तक सिर्फ SIP कर रहे थे, उनके लिए SIF उन्नत इन्वेस्टिंग की दुनिया का सुरक्षित प्रवेश द्वार है।

फिर भी, SIF में निवेश करने से पहले सावधानी जरूरी है। यह हाई रिस्क प्रोडक्ट माना जाता है और इसकी जटिल रणनीतियों को समझना हर निवेशक के लिए आसान नहीं होता। निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका मूल पोर्टफोलियो इमरजेंसी फंड, बीमा, पारंपरिक इक्विटी और डेट फंड पहले से मजबूत हों। साथ ही, SIF को पोर्टफोलियो के केवल एक छोटे हिस्से, जैसे 5–10% में ही रखना चाहिए। इसके बिना SIF का जोखिम अधिक लग सकता है।

आमने

कांग्रेस सरकार के समय धर्मांतरण को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था और डेटासरा जैसे नेता ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों को आश्रय देते थे। अगर किसी ने धर्मांतरण की हिमाकत की तो वह जेल में सड़ेंगे।

सामने

अंता उपनुाव में हार के बाद भाजपा बौखला गई है। भाजपा असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू-मुस्लिम को माहौल बनाना चाह रही है। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि यह दो साल के काम का चुनाव था और अब हार के बाद वे जेल में सड़ेंगे।

–जोगाराम पटेल

मंत्री, राजस्थान सरकार

–गोविंद सिंह डोटसरा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान

काँप सम्मेलन: जीवाश्म ईंधन पर नहीं बनी राय



सुनील कुमार महला

सर्वतंत्र पत्रकार

ब्राजील के बेलेम में 10 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (काँप-30) खत्म हो गया। उम्मीद जताई गई थी कि बेहतर भविष्य के लिए सभी देश मिलकर काम करेंगे, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। काँप सम्मेलन (कान्फ्रेंस आफ पार्टीज) का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों को एक साझा मंच पर लाना है, जहां वे पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों में कमी, तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने और टिकाऊ वैश्विक विकास की दिशा में सामूहिक निर्णय लेते हैं।

आखिरी दिन जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने को लेकर जिस तरह खींचतान होती रही, वह दुनिया को बहुत आश्चर्य करने वाली नहीं रही। आश्चर्यजनक है कि जिस वैश्विक योजना का जिक्र काँप सम्मेलन के शुरुआती ड्राफ्ट में था, उसे बाद के संशोधित ड्राफ्ट से हटा ही दिया गया। इससे यह साफ है कि जीवाश्म ईंधन से जुड़े विवाद जल्द सुलझने वाले नहीं हैं। उम्मीद थी कि दुनिया के तमाम देश ‘ग्लोबल वार्मिंग’ के खिलाफ कोई ठोस फैसला लेंगे, लेकिन सम्मेलन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा और कुछ विशेष सामने नहीं आया।

इस बार हुए काँप-30 से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा थीं, क्योंकि पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं। यहां पेरिस जलवायु समझौता वर्ष-2015 में दुनिया के लगभग सभी देशों के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते वैश्विक तापमान को नियंत्रण में रखना है, ताकि धरती को जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से बचाया जा सके। इस समझौते के तहत देश

यह प्रयास करते हैं कि पृथ्वी का तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे और संभव हो तो 1.5 डिग्री तक सीमित किया जाए। हर देश अपनी क्षमता के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने की योजना बनाता है, जिसे एनडीसी मतलब ‘नेशनली डेटेरमाइंड कंट्रीब्यूशन्स’ (यह वह योजना है, जिसे हर देश खुद बनाता है कि वह कितनी ग्रीन हाउस गैसें कम करेगा, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाएगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कैसी तैयारी करेगा) कहा जाता है। साथ ही, विकसित देश गरीब और विकासशील देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं, ताकि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकें। यह समझौता पूरी दुनिया को जलवायु संकट से बचाने का सामूहिक प्रयास है।

आज पूरी दुनिया जिस गंभीर जलवायु संकट से गुजर रही है, वह किसी से छिपा नहीं है। इसके बावजूद ज्यादातर देश अब भी ग्लोबल तापमान को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति गंभीर नहीं दिखते। ऐसे में विकासशील देशों की स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि जलवायु संकट में उनका योगदान सबसे कम है, लेकिन नुकसान उन्हें सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और असहनीय गर्मी ने मानव जीवन को चुनौती दे दी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि विकसित देश अपने वादों को ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस सम्मेलन में साफ कहा कि विकसित देशों को तय समय से पहले ‘नेट-जीरो’ लक्ष्य हासिल करना चाहिए।उनकी यह बिल्कुल उचित मांग

है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण उन्हीं देशों ने किया है, इसलिए जिम्मेदारी भी उनकी ज्यादा बनती है। विकसित देशों में प्रदूषण का स्तर उनकी ऊंची ऊर्जा-खपत और औद्योगिक गतिविधियों के कारण स्वाभाविक रूप से अधिक रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन्हीं देशों की रही है।

आंकड़ें बताते हैं कि साल 1850 से 2019 तक उत्तरी अमेरिका और यूरोप ने कुल उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा पैदा किया। आज भी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में विकसित देश काफी आगे हैं, जहां उच्च-आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करीब 8-9 मीट्रिक टन तक है, वहीं विकासशील देशों में यह लगभग आधा होता है। यद्यपि तकनीक, नियमों और बेहतर निगरानी के कारण इन देशों ने वायु-गुणवत्ता में सुधार किए हैं और कुछ देश पीएम . प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन मानकों के अनुरूप रखने में सफल भी हुए हैं, फिर भी वैश्विक तापमान वृद्धि और ग्रीनहाउस गैसों की समस्या में उनका योगदान निर्यायक बना हुआ है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में विकसित देशों से अधिक जिम्मेदारी और तेज उत्सर्जन-कटौती की अपेक्षा की जाती है।

इस संबंध में, भारत ने बेहतर उदाहरण पेश किया है। विकास भी जारी है और पर्यावरण संरक्षण भी। यह काबिले-तारीफ है कि साल 2005 से अब तक भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन में 36% से ज्यादा कमी की है और बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा 50% से अधिक हो चुका है। हाल फिलहाल यह भी माना जा रहा है कि भारत 2070 से पहले ही नेट-जीरो का लक्ष्य हासिल कर सकता है।

सोशल फोरम

दुनियाभर के पांच सौ अर्थशास्त्रियों की अपील

दुनिया के पांच सौ से ज्यादा बड़े अर्थशास्त्री एक आवाज बनकर खड़े हुए हैं। वे G-20 देशों से एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समूह की मांग कर रहे हैं, जो सिर्फ एक काम करे- मानव सभ्यता को तोड़ती हुई



मनोज अभिज्ञान

ब्लॉगर

असमानता को समझे, उसकी जड़ें पहचाने और उस कम करने के रास्ते बताए। ये अर्थशास्त्री सत्तर देशों से हैं और उनकी चिंता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उन्हें डर है कि दौलत का इतना बड़ा झुकाव कुछ हाथों में लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है, समाजों को अस्थिर कर रहा है और लोगों के भीतर भरोसा खत्म कर रहा है।

इस अपील में ऐसे नाम शामिल हैं, जिनकी बात को दुनिया ध्यान से सुनती है। 2024 के

नोबेल विजेता डैरेन अचेमग्लू, अमेरिका की पूर्व वित्त मंत्री और फेडरल रिजर्व प्रमुख रहे जानेट येलेन, फ्रांस के अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और टेक्स विशेषज्ञ ग्रेग्रियल जुकर्मैन। ये सब एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अमीरी का यह असमान जमा होना सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह राजनीति की भी बांट रहा है, समाज को कटोर बना रहा है और लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है।

G-20 की हालिया पहली रिपोर्ट इस चिंता को और गहरा कर देती है। इसमें दिखाया गया है कि 2000 से 2024 तक दुनिया की नई पैदा हुई संपत्ति का 41 प्रतिशत सिर्फ सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों ने ले लिया, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों को सिर्फ एक प्रतिशत मिला। इस फासले की निर्ममता को समझिए- अमीरों की औसत दौलत में तेरह लाख डॉलर का इजाफा हुआ और गरीबों के हिस्से में बहुत नाम मात्र की, सुझाया गया है कि ‘इंटरनेशनल पैनल ऑन इनएक्वालिटी’ नाम से समूह बनाया जाए। इसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पैनल की तरह काम करना होगा।

यह असमानता को मापेगा, उसके कारणों की छानबीन करेगा और सरकारों को बताएगा कि कौन से कदम इस खड़ा को पाट सकते हैं। यह विचार इस सीधी सच्चाई से निकलता है कि असमानता कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है, बशर्ते इच्छा और समझ दोनों मौजूद हों। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिलिर रामाफोसा ने इस रिपोर्ट को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। इसमें बताया गया है कि दुनिया के 83 प्रतिशत देश, जहां 90 प्रतिशत लोग रहते हैं, गंभीर असमानता से जूझ रहे हैं और ऐसे देशों में लोकतंत्र पीछे जा रहा है।



सामयिकी

नए लेबर कोड और मजदूरों के अधिकार

21 नवंबर 2025 को आखिर केंद्र सरकार ने बिना श्रमिक संगठनों से चर्चा के नए चार लेबर कोड को लागू कर ही दिया है, जिसके बाद इस पर बड़ी बहस छिड़ चुकी है। कुछ तर्कों के साथ इनको श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए बनाया गया बताया गया है, तो दूसरी ओर देश की दस प्रमुख यूनियंस ने 21 नवंबर को काला दिवस मनाया और तीखी प्रतिक्रिया दी है। देश की प्रमुख यूनियंस अब 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध दिवस मनाने की तैयारी में हैं।

पांच साल पहले बनाए गए इन लेबर कोड को केंद्र सरकार पता नहीं क्यों, लागू करने से बच रही थी, लेकिन बिहार में बीजेपी और एनडीए को मिली जीत ने सरकार का मनोबल बढ़ा दिया है, जबकि



संजीव मेहरोत्रा

बरेली

यूनियंस का मानना है कि पुरानी पेंशन को समाप्त करते समय भी इसी तरह की बातें बताई गई थीं, जबकि पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करने की लड़ाई आज भी कर्मचारियों द्वारा पूरी ताकत से लड़ी जा रही है, यही बातें नोटबंदी, काले कृषि कानूनों और जीएसटी लागू करते समय भी बताई गई थीं, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ सभी ने देखा।

इन चार लेबर कोड्स के लागू होने से यूनियन को मान्यता पाने के लिए 51% कर्मचारियों की सदस्यता आवश्यक है और केवल मान्यता प्राप्त यूनियन को ही सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार मिलेगा। हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल पर सख्त प्रतिबंध लागू होंगे, जो मालिकों का हित साधेंगे। गिग वर्कर्स और असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया गया है, (जबकि गिग वर्कर्स के काम के घंटों का कोई जिक्र ही नहीं है), लेकिन योगदान का बड़ा हिस्सा मजदूरों से ही लिया जाएगा।

कार्य समय प्रतिदिन 12 घंटे तक बढ़ाने की अनुमति है, बशर्ते साप्ताहिक सीमा 48 घंटे से अधिक न हो। इससे 12 घंटे के कार्य दिवस को परोक्ष रूप से मान्यता मिल सकेगी। नियोक्ता यानी मालिक वेतन संरचना और भत्ते तय कर सकता है, पर कथित भ्रामक फ्लोर वेज से कम वेतन नहीं दे सकता। संस्थान निश्चित अवधि के (हफ्ता, महीना आदि) अनुबंध पर काम करने की रख सकते हैं, जिससे स्थायी नौकरी का अधिकार खत्म है। नियोक्ता को सरकारी अनुमति के बिना छंटनी करने की सुविधा है, जिससे रोजगार की सुरक्षा कमजोर होती है। नियोक्ता के लिए इज ऑफ बिजनेस के नाम पर श्रमिक के फंडामेंटल राइट्स पर खतरा है।

कंपनी को छंटनी/बंद करने के लिए सरकारी अनुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। 300 से कम कर्मचारियों वाले सभी संस्थान मनमाना ढंग से छंटनी कर सकते हैं। ठेका मजदूरों का हिस्सा देश में 15.5% है, जो आने वाले समय में 27.9% हो जाएगा और ठेकेदार की कोई जवाबदेही नहीं होगी। जिला स्तर के लेबर कोर्ट समाप्त हो जाएंगे, जिससे मजदूरों और श्रमिकों को न्याय मिलना कठि हो जाएगा। देशभर का संगठित और असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी और श्रमिक विपरीत रूप से प्रभावित होगा।

फिक्स्ड टर्म इंप्लायमेंट लागू होने से स्थायी रोजगार समाप्त हो जाएगा और अग्निवीर की तरह एक साल, दो साल या तीन साल के लिए श्रमिक नियुक्त होंगे। ट्रेड यूनियनों का मत है कि ये संहिताएं श्रमिकों के दशकों पुराने अधिकारों का क्षरण करती हैं। इनके लागू होने के बाद युवाओं के सपने टूटेंगे। असंतोष पैदा होगा और नाराजगी बढ़ेगी। उनका मानना है कि सरकार को व्यापक पुनर्विचार कर इन पर विस्तृत चर्चा कराया जाना चाहिए।



# अमृत विचार रंगोली

भारत की सांस्कृतिक धरोहर उसकी लोक परंपराओं में निहित है और लोकगीत इन परंपराओं की आत्मा माने जाते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेलखंड और भोजपुरी की अपनी विशिष्ट लोकधारा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का कन्नौज क्षेत्र भी अपनी विशिष्ट कन्नौजी लोकगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौजी बोली क्षेत्र के अंतर्गत छह जिले फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, इटावा और पीलीभीत आते हैं। कन्नौजी में गाए जाने वाले ये गीत न केवल मनोरंजन के साधन हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन, भावनाओं, संस्कारों, रीति-रिवाजों और सामाजिक संबंधों का सजीव दस्तावेज भी हैं।



## हमारी गुलाबी चुनरिया हमें लागी नजरिया...

**कन्नौजी लोकगीतों की उत्पत्ति और विशेषता**  
कन्नौजी लोकगीतों की जड़ें ग्रामीण समाज की मिट्टी में गहराई तक पैठी हुई हैं। ये गीत किसी एक कवि या लेखक की रचना नहीं, बल्कि जनजीवन के अनुभवों का सामूहिक रूप हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर और गाकर इनका रूप विकसित होता रहा है। इन गीतों में न तो व्यावसायिकता है, न कृत्रिमता, ये लोकमन की सहज अभिव्यक्ति हैं। भाषा में मृदु कन्नौजी लहजा, सरलता और हास्य-विनोद का पुट इन्हें विशिष्ट बनाता है। कन्नौजी लोकगीतों की एक विशेषता यह भी है कि ये जीवन के प्रत्येक अवसर से जुड़े होते हैं- जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर्ष और विषाद दोनों ही स्थितियों में लोकगीत गाए जाते हैं। मांगलिक अवसरों के गीत कन्नौजी बोली के क्षेत्र में संस्कार गीतों का अपना महत्व है। प्रमुखता यहां पांच प्रकार के संस्कार गीत प्राप्त होते हैं- जन्म गीत, अन्न प्राशन गीत, मुंडन गीत, यज्ञोपवीत गीत और विवाह गीत। पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को सोहर कहा जाता है, वहीं मुंडन और अन्नप्राशन संस्कारों के अवसर पर भी सोहर गाने की परंपरा होती है। यज्ञोपवीत के समय गाए जाने वाले गीत बरुआ कहलाते हैं, जबकि विवाह के अवसर पर बन्ना और बन्नी गाने का प्रचलन है। ये मांगलिक गीत अत्यंत लोकप्रिय हैं। ऐसे गीतों में मातृभाव, हंसी-ठिठोली और भावुकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।

### कृषि और श्रम जीवन से जुड़े गीत

कन्नौजी समाज का जीवन मूलतः कृषि आधारित है, इसलिए खेती-बाड़ी, वर्षा, फसल कटाई, बैल और हल से जुड़े अनेक गीत मिलते हैं। ये गीत खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं, जिससे श्रम का बोझ हल्का होता है और सामूहिकता की भावना बढ़ती है।  
**बरखा आई ओरे साथी, बड़ैठे न अब घर मा। / खेतन में पानी भरि आयो, चलो लगावई धान।** ऐसे गीतों में किसान की मेहनत, आशा और प्रकृति के प्रति आदर झलकता है।



### त्योहार और धार्मिक लोकगीत

कन्नौजी लोकजीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तीज, करवाचौथ आदि पर्वों पर विशेष लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कन्नौजी क्षेत्र के मुख्य व्रत त्योहारों में शीतलाष्टमी, रामनवमी, वटसावित्री व्रत, नागपंचमी, जन्माष्टमी, हल पष्ठी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस, लक्ष्मी व्रत, नवरात्रि का व्रत, विजय दशमी, करवाचौथ, अन्नकूट, भ्रातृद्वितीया, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शिवरात्रि व होली हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पूर्णिमा का भी महत्व है। इन विविध पर्वों पर कन्नौजी भाषा में विविध लोकगीत गाए जाते हैं। एक कन्नौजी लोकगीत देखिए, जिसमें देवी मां की भक्ति पूजा करने जाती है और बीच में ही बदरिया आती है। एक दम अंधिरिया छा जाती है- सोने के थारी में भोजन परोसे / मड़ये मिलन हम आईरे, झुकि आई अंधिरिया // मड़ये जिमाउन हम आईरे, झुकि आई अंधिरिया // मड़ये सुवाउन हम आईरे, झुकि आई अधिरिया // पाना पचासी, महोबे को बीड़ा। मड़ये रचाउन हम आरेरे, झुकि आई अंधिरिया।




### सोहर और बन्नी

सोहर- धीरे-धीरे रेंडियो बजना मेरे राजा जी / रेंडियो की आवाज सुन सासु दौड़ी आवेंगी // उनको भी हलके से कंगन बनवाना मेरे राजा जी/ पांच के बनवाना पचास के बताना जी/ धीरे- धीरे रेंडियो बजना मेरे राजा जी।  
एक बन्नी - बन्नी नादान बजावे हरमोनिया/दादी के कमरे बजावे हरमोनिया // छेड़ें तान हंसे सारी दुनिया/ बन्नो नादान हंसे सारी दुनिया। महिलाएं समूह में बैठकर इन गीतों को गाती हैं और उनमें स्थानीय शब्दावली, पारिवारिक संबंधों और ग्रामीण जीवन के प्रतीक झलकते हैं।

### भावनात्मक और प्रेमपरक गीत

कन्नौजी लोकगीतों में प्रेम, विरह और सौंदर्य की भावनाएं भी प्रमुखता से मिलती हैं। मेरा रेशमी दुपट्टा जरा गोटा लगा दो/ जरा गोटा लगा दो... सोने की थाली में भोजन बनाए/ मेरा जेमन वाला दूर बसा/ कोई जल्दी बुला दो...  
कभी ये गीत सीधी सच्ची प्रेमाभिव्यक्ति होते हैं,



तो कभी सांकेतिक और रूपकात्मक। स्त्री का विरह, पति की प्रतीक्षा, साजन की विदाई- ये सब विषय बार-बार आते हैं।  
**साउन लागे आज सुहावन जी // एजी कोई घटा दबी हई कोर // नन्हीं-नन्हीं बुंदियन में बरसी रहे // एजी कोई पवन चले सई जोर।** ऐसे गीतों में भाषा की मिठास और भावनाओं की गहराई दोनों अद्भुत रूप से मिलती हैं।

### सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

कन्नौजी लोकगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना के दर्पण हैं। इन गीतों से समाज की संरचना, नारी की भूमिका, नैतिक मूल्यों और लोकाचारों की झलक मिलती है। इनके माध्यम से लोकसंस्कृति पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होती रही है। महिलाओं के लिए ये गीत स्व-अभिव्यक्ति का साधन हैं - वे अपनी भावनाएं, पीड़ा, आनंद और आकांक्षाएं इन्हीं गीतों में व्यक्त करती हैं।  
स्व-अभिव्यक्ति का एक उदाहरण देखें, जिसमें ससुराल की पीड़ा भी अभिव्यक्त होती है-  
**हमारी गुलाबी चुनरिया, हमें लागी नजरिया // सासु हमारी जन्म की बैरिन/ हमसे करामै रसुइया, मेरी बारी उमरिया/ जेठानी हमारी जन्म की बैरिन/ हमसे भरामें गगरिया, मेरी बारी उमरिया...**

इस प्रकार कह सकते हैं कि कन्नौजी लोकगीत उत्तर भारत की समृद्ध लोकपरंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं। इन गीतों में जीवन की गंध है, मिट्टी की महक है और ईसान की सहज भावनाओं की सच्चाई है। आज जब आधुनिकता और तकनीक के प्रभाव से लोकसंगीत का स्वर क्षीण हो रहा है, तब इन लोकगीतों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। कन्नौजी लोकगीत न केवल कान्यकुब्ज क्षेत्र की पहचान हैं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति की जीवंत धरोहर भी हैं। इन गीतों को सुनना, गाना और सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।

### आर्ट गैलरी



मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें अक्सर भारत का पिकासो कहा जाता है। वह अपनी शानदार और डायनेमिक पेंटिंग्स के लिए मशहूर हैं, जो भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने को दिखाती हैं। मकबूल (एमएफ हुसैन), 20वीं-21वीं सदी के भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कलाकारों में से एक थे। उनकी पेंटिंग्स में भारतीय संस्कृति, इतिहास और समकालीन जीवन के विषयों को प्रमुखता से दर्शाया गया, जिसमें घोड़े, गायें और भारतीय देवी-देवता अक्सर नजर आते हैं। 17 सितंबर, 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में जन्मे हुसैन ने भारतीय आधुनिक कला को एक नई दिशा दी। हुसैन का कलात्मक सफर 1940 के दशक में शुरू हुआ। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री, पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण, भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। 19 जून, 2011 को लंदन में उनका निधन हो गया।



पेंटर मकबूल फिदा हुसैन

### रंग-तरंग

राजधानी दिल्ली में सालभर विशेष कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। बीते दिनों जहां भारत मंडपम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, वहीं निजामुद्दीन दरगाह के करीब बने हुमायूं टॉम्ब की सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महोत्सव में लोक एवं जनजातीय कला एवं शिल्प महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों ने अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया।



## हुमायूं टॉम्ब की नर्सरी में लोककला एवं जनजातीय शिल्प महोत्सव

**सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम की झलक :** सुंदर नर्सरी, दिल्ली का मुगल उद्यान है, जिसे अब एक जीवंत स्थल में बदल दिया गया है। यहां शिल्प बाजारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कैफे का आयोजन होता है। यह सिर्फ एक पिकनिक स्थल नहीं, बल्कि अब यहां विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जिनमें "शिल्प ग्राम" भी शामिल है।  
**कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर भी पहुंचे :** प्रदर्शनी में शिल्प कला क्षेत्र के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर मधुबनी चित्रकला, वरली चित्रकला, गोंड चित्रकला और भील चित्रकला, टेराकोटा शिल्प, बांस शिल्प, सुलेख, सिक्की घास बुनाई, सुलेख - लकड़ी की नक्काशी और पेपरमैची शिल्प पर इंटरैक्टिव कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।  
**कई तरह के मधुबनी पेंटिंग्स की दिखी कलाकृतियां :**

बिहार की मधुबनी पेंटिंग को गत्तो के ढांचों पर उभारने वाली अनुभा बताती हैं कि उनको इस प्रदर्शनी में आकर काफी अच्छा लगा। वह मुलतानी मिट्टी और कागज को मिलाकर, जो मॉडल तैयार करती हैं, फिर उस पर मधुबनी पेंटिंग को उभारने का काम करती हैं। यह हुनर उनको विरासत में प्राप्त हुआ है। इस काम को उन्होंने अपनी दादी से सीखा है, जो शादी के उपरांत उनके लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम साबित हो रहा है।  
**सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहयोग करना आयोजन का उद्देश्य :** लोक एवं जनजातीय कला एवं शिल्प महोत्सव की संयोजक सुमन दूंगा ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से, हमारा उद्देश्य युवा मन को प्रेरित करना, हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहयोग देना और गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना रहा।



न्यूज़ ब्रीफ

हनुमान मंदिर का वार्षिकोत्सव 2 व 3 को

कैसरगंज, बहराइच, अमृत विचार : स्थानीय हनुमान मंदिर में 44वां वार्षिकोत्सव 2 व 3 दिसम्बर को आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी देते हुए उमा प्रताप सिंह ने बताया कि 2 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे मंदिर प्रांगण से शोभायात्रा निकलेगी जो रानीबाग स्थित श्री राम जानकी मंदिर होकर वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे से भंडारे का आयोजन होगा। 13 दिसम्बर को देर शाम 7 बजे अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन आयोजित होगा। आमंत्रित कवियों में रामकिशोर तिवारी, गजेन्द्र प्रियांसु, अभय निर्भीक, डॉ. नीता सिंह, शिव किशोर तिवारी, देशराज सिंह मधुसूदन, निर्भय निचल, सन्तोष सिंह, लाला पागल और गौराव गौरावनि्त शामिल हैं।

तमंचा रखने के दो दोषियों पर जुर्माना

श्रावस्ती, अमृत विचार : गोंडा के खरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कहला तेंदुआ निवासी अनवर को साल 1997 में कोतवाली भिन्ना पुलिस ने 12 बोर के तमंचे व तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। सोमवार को अनवर को न्यायिक कॉन्स्टेबल गौरव द्विवेदी की कोर्ट पर पेश किया गया। जहां दोनों दोषियों को सुनने के बाद न्यायाधीश गौरव द्विवेदी ने अनवर को दोषी करार देते हुए 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य मामले में न्यायिक कॉन्स्टेबल भिन्ना के राजापुर निवासी शेषराम यादव को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

नौवागांव में चकरोड पर कब्जे की कोशिश

नानपारा, बहराइच, अमृत विचार : तहसील नानपारा के नवागांव की पश्चिम- दक्षिण दिशा में स्थित एक चकरोड पर कब्जा किये जाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। एक ग्रामीण ने बताया कि कब्जा पूरा होने के बाद रास्ते बंद हो जाएगा, जिससे आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीण के अनुसार इससे पहले भी इसी चकरोड के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया जा चुका है, लेकिन इस बार मामला गंभीर रूप ले रहा है अवैध कब्जे पर नीव भरी जा चुकी है।

संविधान दिवस पर होंगे विविध कार्यक्रम

बहराइच, अमृत विचार : मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने निर्देश दिया है कि संविधान दिवस (26 नवम्बर) पर शासन की मंशाअुसार हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान थीम पर विभिन्न कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए कार्यक्रम की वीडियो एवं फोटोग्राफ्स वेबसाइट कारिस्टट्यूशन 75 डाट कॉम पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद फैले संक्रमण से महिला की मौत

श्रावस्ती, अमृत विचार : भिन्ना के निजी नर्सिंग होम में गलत इलाज ने एक महिला की जान ले ली। नर्सिंग होम में महिला का ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। कई अस्पतालों में इलाज के बाद भी महिला की जान नहीं बचाई जा सकी।

सिरसिया के जोखवा बाजार निवासी ब्रह्मानंद तिवारी की पत्नी निर्मला को पथरी की शिकायत थी। उनका इलाज भिन्ना के आकाश नर्सिंग होम में कराया गया। यहां 24 अक्टूबर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दो तीन दिन बाद शरीर में संक्रमण फैलने से हालत बिगड़ने

उपलब्धि

एसआईआर कार्य पूरा करने वाले 3 बीएलओ सम्मानित

संवाददाता, श्रावस्ती

**अमृत विचार** : जिले के सभी मतदाताओं से अपील है कि वह गणना प्रपत्रों को भरकर समय से बीएलओ को उपलब्ध करा दें। ताकि एसआईआर का कार्य समय से पूरा किया जा सके।

ये बातें मंगलवार को जिले में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत इकौना तहसील क्षेत्र में अपने बूथों पर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले तीन बृथ स्थरीय अधिकारियों (बीएलओ) शक्तिराम रमेश चंद्र, हंसराज वर्मा व राजीव कुमार त्रिपाठी को सम्मानित करते हुए डीएम

अध्यापक समेत दो का वेतन बाधित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य (एसआईआर) में लापरवाही बरतने पर की गयी कार्रवाई

सख्ती

संवाददाता, बहराइच

**अमृत विचार** : विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर एक सहायक अध्यापक और एक अनुदेशक का वेतन रोकने की कार्रवाई की गयी है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये गये क्षेत्र भ्रमण के दौरान चित्तौरा अन्तर्गत 325- प्रा.वि. मोहम्मद नगर काजीजोत के (क.न.-2) के लिए तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक रूमाना कुहूस तथा 330- प्रा.वि. झिंगहा अतिरिक्त के (क.न.-1)

एसएसबी के साथ सीमा पर गश्त करें पुलिसकर्मी

श्रावस्ती, अमृत विचार : एससी ने मंगलवार को सिरसिया थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही एसएसबी के साथ मिलकर सीमा पर नियमित गश्त करने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम ने सिरसिया थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, भोजनालय और थाने में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र का भ्रमण कर जायजा लिया। ड्यूटीरत कर्मियों से उनके कार्यों की जानकारी ली तथा कार्यालय अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई बनाए रखने, कार्य में

के लिए तैनात बीएलओ शिक्षा अनुदेशक संतोष कुमार के क्षेत्र में अनुपस्थित पाये जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मटेरा द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गयी थी।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मटेरा की संस्तुति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह द्वारा सहायक अध्यापक रूमाना कुहूस का वेतन तथा अनुदेशक संतोष कुमार का मानदेय तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक बाधित करते हुए अनुपस्थिति के सम्बन्ध मेंबीईओ चित्तौरा के माध्यम से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

एसएसबी के साथ सीमा पर गश्त करें पुलिसकर्मी

किसी लापरवाही न करने की हिदायत दी। उन्होंने मिशन शक्ति केंद्र की कार्य प्रणाली, महिलाओं व बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और केंद्र के संचालन व जागरूकता अभियान की समीक्षा की। ऑपरेशन क्लीन के तहत लावारिस वाहनों के निस्तारण के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया। एससी ने कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए एसएसबी के साथ समन्वय बनाकर सीमा पर नियमित गश्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान एससी ने जनता की शिकायत सुनी और निस्तारण के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया।

धनुष टूटते ही जय श्रीराम से गुंजा पंडाल

संवाददाता, नवाबगंज बहराइच

**अमृत विचार** : नंदा गांव में चल रही चार दिवसीय धनुष यज्ञ मेले का समापन हो गया। श्रद्धालुओं ने ने सबसे पहले भगवान श्री राम दरबार की आरती उतारी। धनुष टूटते ही पंडाल जय श्रीराम के जयकारे से गूंज उठा।

कलाकारों ने फुलवारी लीला का मंचन किया। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ फुलवारी में पूजा के लिए फूल लेने जाते हैं। माली भगवान श्री राम व लक्ष्मण को फूल तोड़ने से रोकते हुए कहता है कि वह स्वयं फूलों को दे रहा है। इसी बीच जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजा के लिए फुलवारी में

पहुँचती हैं। श्याम व गौर वर्ण शरीर वाले भगवान श्री राम व लक्ष्मण की सुंदरता को देखकर जनक नंदिनी की सहेलियां अपना सुध बुध खो बैठती हैं। सहेलियों की यह दशा देखकर सीता अर्चभित हो जाती हैं और पूछती हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्या देख लिया। जनकनंदिनी सीता की नजर श्रीराम पर पड़ती है, तो वह भी खुश हो जाती हैं। स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण पहुंचते हैं। भगवान राम के धनुष तोड़ते ही श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में कमेट्री अध्यक्ष पंकज वर्मा,नन्द किशोर वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि रफीक अहमद, विजय कुमार,मालती प्रसाद, हेमराज व बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।

ठंड से बचाव को एडवाइजरी जारी

श्रावस्ती, अमृत विचार: ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके साथ ही सुबह शा कोहरा भी पड़ने लगा है। इससे जिलेवासियों को बचाने के लिए डीएम अश्विनी कुमार पांडेय ने एडवाइजरी जारी की है। डीएम ने बताया कि कोयले की अंगीठी, मिट्टी तेल का चूल्हा, हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। कमरे में हवा का आवागमन बनाए रखें, ताकि कमरे में विषाक्त/जहरीली धुआं इकट्ठा न हों। कई स्तरों वाले गर्म कपड़े जैसे ऊनी कपड़े, स्वेटर, टोपी, मफलर आदि का प्रयोग करें। अत्यधिक ठंड/कोहरा पड़ने पर छोटे बच्चों व बुजुर्गों को घर के अन्दर रखें।

अमृत विचार

अमृत विचार

तीन विभागों के कर्मचारियों को नोटिस जारी

पयागपुर, बहराइच, अमृत विचार : उपजिलाधिकारी ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान में अपेक्षित सहयोग न करने पर तीन सरकारी विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को तत्काल स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस कार्य में गणना पुस्तकों के संकलन और डिजिटाइजेशन के लिए आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका और सफाई कर्मियों की झूठी लगाई गई थी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भाग संख्या 202 प्रावि-भूगंज पश्चिम, भाग संख्या 204 प्रावि-कोट बाजार पयागपुर प्रथम तथा 205 प्रावि-कोट बाजार पयागपुर प्रथम की पुनरीक्षण गणना और सहायिका तथा आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सफाई कर्मी अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम ने कहा कि उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस घोर लापरवाही को देखते हुए, उपजिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी वअधिशारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग के अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

बीएसए द्वारा सम्बन्धित को सचेत किया गया है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हेतु सौंपे गये

धर्म रक्षा समिति कार्यालय का शुभारंभ

रुपईडीहा, बहराइच, अमृत विचार

: दशहरा बाग परिसर में मंगलवार को धर्म रक्षा समिति के कार्यालय का उद्घाटन धार्मिक उल्लास के बीच संपन्न हुआ। श्रीअयोध्याधाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ के साथ हुई। इसके बाद हवन व भंडारे का आयोजन किया गया। धर्म रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यालय उद्घाटन का उद्देश्य क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सामाजिक समरसता को मजबूत करना है।

अमृत विचार



लीला मंचन को जाते श्रीराम व लक्ष्मण के स्वरूप।

● अमृत विचार

सम्मान निधि का लाभ पाने को डाटा अपडेट कराएं किसान

श्रावस्ती, अमृत विचार: पीएम किसान सम्मान निधि 20 वीं किस्त के समय कुछ संदिग्ध लाभार्थियों की किस्त पर रोक लगाई गई थी। जिसमें कई प्रकार के लाभार्थी शामिल हैं। ऐसे किसान तत्काल अपना डाटा अपडेट करें, जिससे उन्हें सम्मान निधि का पैसा मिल सके।

यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी ने बताया कि पूर्व व वर्तमान भूस्वामी पंजीकृत हैं, पूर्व भूस्वामी की किस्तों पर रोक न लगाकर वर्तमान भू स्वामी भी किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। 01 फरवरी 2019 के बाद वरासत के अतिरिक्त अन्य

कारणों से भूमि में नाम दर्ज हुआ है व पीएम किसान सम्मान निधि में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाबालिग किसान माता या पिता के होते हुए पीएम किसान में पंजीकरण कराकर लाभ ले रहे हैं। पूर्व भूस्वामी का पूर्ण विवरण अंकित किए बिना पंजीकरण करा लेने, ऐसे पात्र रोक हटाने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर भारत सरकार की ओर से अपडेशन मिस्सिंग इंफॉर्मेशन के लिंक के अन्तर्गत व्यवस्था दी गई है। किसान अपनी पात्रता की स्थिति में पीएम किसान पोर्टल पर जाकर स्वयं या जनसेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एमएस फार्मा पर की गयी कार्रवाई

नानपारा, बहराइच, अमृत विचार : मेसर्स एम.एस. फार्मा पर कोडिन मिश्रित सिरप और नशीली दवाओं की बिक्री के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। औषधि निरीक्षक ने 19 नवंबर को यहां जांच की थी। प्रोप्राइटर मौजूद तो था, लेकिन वह कोडिवा सिरप और नॉरकोटिक कैप्सूल के लेन-देन से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं कर सका। फर्म द्वारा 29,760 बोतल कोडिवा सिरप और 3,88,800 कैप्सूल की खरीद की गई थी, जबकि इससे संबंधित बिल उपलब्ध नहीं करए गए। औषधि निरीक्षक ने पूरी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेज दी। जवाब न मिलने पर पुलिस ने फर्म के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

बीएलओ उमा देवी को डीएम करेंगे सम्मानित

कैसरगंज, बहराइच, अमृत विचार

: एस आई आर अभियान में कैसरगंज विस के बृथ संख्या 217 उच्च प्राथमिक विद्यालय दनावल कक्ष संख्या 1 की बीएलओ उमा देवी ( आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ) ने अपने क्षेत्र का 100 प्रतिशत कार्य समय से पूर्व पूरा कर इतिहास रच दिया है। उमा ने न केवल अपने बृथ को आदर्श बनाया बल्कि कार्यकुशलता का नया मानदंड स्थापित किया। इस उपलब्धि के लिए डीएम द्वारा उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह उपलब्धि एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन व सुपरवाइज़र विश्वनाथ सिंह के पर्यवेक्षण में संभव हो सकी।

अमृत विचार

संवाददाता, पयागपुर, बहराइच

**अमृत विचार** : विकासखंड पयागपुर की ग्राम पंचायत बनकटा को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत एक बड़ी सौगात मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में कचरा निस्तारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहां लगभग 14 लाख रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट स्थापित की जाएगी। ग्रामीण समग्र विकास विभाग ने इस परियोजना के लिए भूमि चयन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। पयागपुर के खंड विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया

कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लॉक क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में से बनकटा को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए चुना गया है। शासन से बजट आवंटित होने और यूनिट स्थापना से संबंधित दिशा-निर्देश जारी होने के बाद, प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी है।

खेतों में पराली न जलाएं किसान : उप कृषि निदेशक

बहराइच, अमृत विचार : उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने जिले के किसानों से अपील की है कि पराली/फसल अवशेष को खेतों में न जलायें। पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने पर सरकार द्वारा भी पराली जलाना प्रतिबन्धित किया गया है। उन्होंने बताया कि पराली जलाये जाने पर 02 एकड़ तक पांच हजार रुपये, 2 से 5 एकड़ तक 10 हजार

अमृत विचार

आत्महत्या को उकसाने के आरोप में दंपति गिरफ्तार

कार्रवाई

**नवाबगंज, बहराइच, अमृत विचार** : दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी और पति के उकसाने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में वांछित चल रहे पति-पत्नी को नवाबगंज पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गत 7 नवंबर को नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अवधूत गांव निवासी अली हुसैन उर्फ छोटकऊ की दूसरी पत्नी शबीना जो इसी ग्राम पंचायत की मजरा रामनगर निवासी जाहिद की पुत्री थी, ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शबीना के पिता की तहरीर पर पुलिस

मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने बताया कि मंगलवार को गठित पुलिस टीम ने वांछित छोटकऊ उर्फ अली हुसैन तथा उसकी पहली पत्नी नजमुन्नशा निवासी मजरा अवधूतगांव ग्राम पंचायत रामनगर सेमरा थाना नवाबगंज को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने बताया कि दोनों आरोपी वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक चन्द्रका प्रसाद, महिला उपनिरीक्षक इशरत जहां, हेड कांस्टेबल अजुन चौरसिया, हेड कांस्टेबल जितेन्द्र राज सिंह मौजूद शामिल रहे।

अमृत विचार

संवाददाता, पयागपुर, बहराइच

**सौगात** : 14 लाख रुपये की आएगी निर्माण कार्य में लागत

- **परियोजना के लिए भूमि और अन्य प्रक्रियाएं कर ली गयीं पूरी**
- **वैज्ञानिक तरीके से होगा प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण और उपयोग**

अधिकारियों के अनुसार, इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित और निस्तारित करना है। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि निर्माण के लिए शासन-देश जारी हो चुके हैं और ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान को पत्र जारी कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस यूनिट से प्राप्त होने वाली प्रोसेस्ड सामग्री का उपयोग किसानों के खेतों में खाद के रूप में किया जा सकेगा, जो अपशिष्ट को संपदा में बदलने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल

कास्वागत किया है। उनका मानना ​​है कि इस यूनिट के चालू होने से गांव में खुले में पड़े प्लास्टिक कचरे से होने वाली गंदगी कम होगी, जिससे मच्छर-मक्खी और बीमारियों का प्रकोप भी घटेगा। अब तक प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट खुले में पड़े रहकर वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। प्रस्तावित यूनिट से प्लास्टिक कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक निस्तारण संभव हो पाएगा।

यूनिट के चालू होने के बाद, आसपास के गांवों से भी प्लास्टिक कचरा यहां लाकर प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था में व्यापक सुधार की उम्मीद है।

खेतों में पराली न जलाएं किसान : उप कृषि निदेशक

रुपये तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में पराली जलाने पर30 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाये जाने के साथ कृषक को सरकारी योजनाओं के लाभ वंचित किया जा सकता है तथा गन्ना कृषक का सट्टा भी लॉक कर दिया जायेगा। उप कृषि निदेशक श्री वर्मा ने बताया कि फसल अवशेष जलाये जाने से कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड आदि गैसें उत्पन्न होने से श्वास एवं त्वचा सम्बन्धी बीमारियां पैदा होती है जो मानव जीवन एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।

सिटी डायरी	
	<b>राम मंदिर में ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में भंडारा आयोजित</b> <p>पयागपुर बहराइच, अमृत विचार<span> </span>: अयोध्या के राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मंगलवार को क्षेत्र में भी उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। मंगरे पुरवा मोड़ पर स्थानीय निवासियों द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य आकर्षण भगवा ध्वज को फहराना रहा। इस अवसर पर विधान सभा संयोजक निशंक त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पूरे विधि-विधान के साथ भगवा ध्वज को लहराया। ध्वजारोहण के साथ ही पूरा वातावरण ‘जय श्री राम’ के उद्घोष से गूंज उठा। ध्वजारोहण के पश्चात, स्थानीय निवासियों द्वारा आयोजित भंडारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संयोजक निशंक त्रिपाठी ने स्वयं प्रसाद वितरण में भाग लिया और भक्तों को प्रसाद वितरित किया।</p>
	<b>धनुष यज्ञ की मनोहारी लीला देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक</b> <p>पयागपुर, बहराइच, अमृत विचार<span> </span>: नगर क्षेत्र अंतर्गत बस स्टॉप चौरहा पर आयोजित राम विवाह महोत्सव में धनुष यज्ञ की मनोहारी लीला की जीवंत प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। महोत्सव के चौथे दिन स्थानीय कलाकारों ने धनुष यज्ञ की लीला का मंचन किया। राम विवाह महोत्सव समिति के कुलदीप शर्मा ने बताया कि मंगलवार को राम विवाह का मंचन होगा। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिये लवंधक संतोष गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनीष सिंह सहित समिति के प्रीतम शर्मा, रवि शर्मा, सज्जन श्रीवास्तव व पवन सिंह गुटे हैं।</p>
	<b>प्लंबिंग कोर्स का समापन</b> <p>श्रावस्ती, अमृत विचार<span> </span>: एसएसबी 62 वीं वाहिनी भिन्ना के कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। वहीं प्लंबिंग कोर्स कर चुके प्रशिक्षार्थियों को एमएलसी साकेत मिश्र ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। एसएसबी की ओर से कमांडेंट अमरेन्द्र कुमार वरुणा के निर्देशन में राजकीय इंटर कॉलेज गम्बापुर में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत मंगलवार से 250 युवाओं के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत की गई।</p>
	<b>जागरूकता सप्ताह पर निकाली गई जन-जागरूकता रैली</b> <p>श्रावस्ती, अमृत विचार<span> </span>: जन जागरण एवं सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसएसबी 62 वीं वाहिनी भिन्ना जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम चला रही है। मंगलवार को जन-जागरूकता रैली निकाली गई। एसएसबी के जी समवाय भैसाही नाका के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज गाबापुर तथा सी समवाय सुइयां की ओर से अबू आसिम आजमी इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं के सहयोग से रैली निकाली गई। इसमें शामिल छात्रों, शिक्षकों व एसएसबी के जवानों ने यातायात नियमों का पालन, स्वच्छता एवं स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया।</p>
	<b>राजकीय इंटर कालेज गम्बापुर में प्रमाण पत्र देते एमएलसी व कमांडेंट। अमृत विचार</b>



बिजनेस ब्रीफ

यात्रा ऑनलाइन ने ध्रुव श्रृंगी को कार्यकारी चेयरमैन बनाया

नई दिल्ली। ऑनलाइन यात्रा सेवा कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने मंगलवार को अपने नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की। कंपनी ने सह-संस्थापक और सीईओ ध्रुव श्रृंगी को कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। यात्रा ऑनलाइन ने शेयर बाजारों को बताया कि कंपनी ने सिद्धार्थ गुप्ता को नया सीईओ बनाया है। श्रृंगी, जो शुरुआत से ही सीईओ हैं, इस नई भूमिका में यात्रा के दीर्घवर्ष के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें वैश्विक विस्तार, नवोन्मेषण और शेयरधारकों के लिए मूल्यवर्धन शामिल है।

नंद किशोर बने क्रिस्टल क्रॉप के मानद चेयरमैन

नई दिल्ली। कृषि रसायन बनाने वाली कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने अपने संस्थापक नंद किशोर अग्रवाल को मानद चेयरमैन बनाया। उनके पुत्र अंकुर को कार्यकारी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब कंपनी कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलते वैश्विक माहौल के बीच फसल सुरक्षा, बीज, जैव प्रौद्योगिकी और हरित खेती के समाधान क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। कंपनी ने कहा कि नंद किशोर अग्रवाल, जिन्होंने चार दशक पहले कंपनी शुरू की थी, रणनीतिक सलाह देगे और शिक्षा, आजीविका और सतत विकास में परमार्थ कार्यों पर ध्यान देंगे।

छोटे चाय उत्पादकों ने की राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग

कोलकाता। कनफेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन (सीआईएसटीए) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी वृद्धि को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। सीआईएसटीए के अध्यक्ष बिर्जोंय गोपाल चक्रवर्ती ने पत्र में कहा कि छोटे चाय उत्पादक (एसटीजी) कुल चाय उत्पादन में 50% का योगदान देते हैं। एसटीजी को हरी चाय की पतियों की अस्थिर कीमती, कर्ज तक सीमित पहुंच और सही वैज्ञानिक समर्थन के मामले में परेशानी झेलती हैं। इससे एक एसटीजी मालिक कर्ज में फंसे है।

	राष्ट्रीय	
--	-----------	--

धार्मिक गतिविधियों में भाग न लेना गलत

अधिकारी की बर्खास्तगी जायज : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह कैसा संदेश, यह तो सैन्य अधिकारी की घोर अनुशासनहीनता



नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व ईसाई अधिकारी की वह यांचिका खारिज कर दी, जिसमें सशस्त्र बलों से उसकी बर्खास्तगी को चुनौती दी गई थी। अधिकारी ने अपनी तैनाती वाले स्थल पर मंदिर के गर्भगृह में रेंजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद उस से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले में रहस्यक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सेना की कार्रवाई को बरकरार रखा गया था। अदालत ने कहा कि सैमुअल कमलेसन को आचरण सैन्य अनुशासन के अनुरूप नहीं था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह किस तरह का संदेश दे रहे हैं? उन्हें तो बस इसी लिए बाहर कर देना चाहिए था। यह किसी सैन्य अधिकारी द्वारा की गई घोर अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व करने वाले को उदाहरण पेश करना चाहिए। आप अपने सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। जब एक पादरी ने आपको सलाह दी, तो आपने उसे वहीं छोड़ दिया। आप इसको लेकर अपनी निजी समझ नहीं रख सकते कि आपका धर्म

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने उच्च व वैश्विक वृद्धि और अमेरिकी शुल्क के कम प्रभाव पर बढ़ाया अनुमान

नई दिल्ली, एजेंसी

रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया। जून तिमाही में उच्च वृद्धि और वैश्विक वृद्धि और व्यापार पर अमेरिकी शुल्क वृद्धि के कम प्रभाव को देखते हुए यह अनुमान बढ़ाया गया है। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार, उसे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी सालाना आधार पर सात प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह उसके पिछले अनुमान 6.3 प्रतिशत (जुलाई, 2025 में जारी) से 0.7 प्रतिशत अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया

आयकर, जीएसटी कटौती से अतिरिक्त राजकोषीय समर्थन की गुंजाइश सीमित

नई दिल्ली, एजेंसी

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में आयकर और जीएसटी में की गई कटौतियों ने सरकार की राजस्व वृद्धि को कमजोर कर दिया है, जिससे अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त वित्तीय समर्थन देने की गुंजाइश सीमित हो गई है। मूडीज रेटिंग्स के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ क्रेडिट अधिकारी (सरकारी जोखिम) मार्टिन पेट्च ने कहा कि राजस्व वृद्धि अपेक्षा से काफी कमजोर रही है। पिछले महीनों में जो कर कटौती हुई है, उसका भी राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है। इसी वजह से वित्तीय सशक्तीकरण पर दबाव बढ़ा है और अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की गुंजाइश घट गई है।

	राष्ट्रीय	
--	-----------	--

नफरती भाषण वाली हर घटना की नहीं हो सकती निगरानी

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह देश भर में घृणा भाषण की हर घटना पर कानून बनाने या उस पर निगरानी रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके लिए कानूनी उपाय, पुलिस थाने और उच्च न्यायालय मौजूद हैं। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विहम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने की, जो एक खास समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के कथित आह्वान का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इस याचिका के मद्देनजर कानून नहीं बना रहे हैं। निश्चित रहे, हम इस देश के किसी भी इलाके में होने वाली हर छोटी घटना पर कानून

नहीं करना समाज के लिए एक गलत संदेश होगा, तो पीठ ने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा। सिख कर्मियों वाली स्व्वाइन के 'ट्रुप लीडर' थे कमलेसन : वर्ष 2017 में तीसरी कैबलरी रेंजिमेंट में कमीशन प्राप्त करने वाले कमलेसन को सिख कर्मियों वाली बी स्व्वाइन के 'ट्रुप लीडर' के रूप में तैनात किया गया था। रेंजिमेंट में एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था, लेकिन कोई "सर्व धर्म स्थल" या चर्च नहीं था।



जन विश्वास विधेयक के पर कर रहे काम : गोयल

नई दिल्ली, एजेंसी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने जन विश्वास विधेयक के तीसरे संस्करण के जरिये छोटे कारोबारी अपराधों को और अपराध-मुक्त करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने पहले ही 275-300 ऐसे प्रावधानों की पहचान कर ली है, जिन्हें अपराध-मुक्त की श्रेणी में डाला जा सकता है। केंद्रीय उद्योग मंत्री घरेलू व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि जन विश्वास विधेयक-3 की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि वह इसे महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि यह राज्य का विषय है।

केंद्रीय उद्योग मंत्री घरेलू व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि जन विश्वास विधेयक-3 की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि वह इसे महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि यह राज्य का विषय है।

सेंसेक्स 313.70 अंक टूटकर 84,587.01 पर बंद

मुंबई, एजेंसी	●विदेशी पूंजी की निकासी से संसेक्स 314 अंक टूटा	●आईटी और वाहन शेयरों में बिकवाली से आई गिरावट
---------------	---	---

स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी के बीच आईटी और वाहन शेयरों में बिकवाली से बीएसई संसेक्स 314 अंक के नुकसान में रहा जबकि एनएसई निफ्टी में 75 अंक की गिरावट आई।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के दौरान संसेक्स 313.70 अंक टूटकर 84,587.01 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 363.98 अंक तक नीचे आ गया था। संसेक्स के 30 शेयरों में 24 नुकसान में जबकि छह लाभ में रहे। वहीं, एनएसई का निफ्टी 74.70 अंक की गिरावट के साथ 25,884.80 अंक पर आ गया। शुक्रवार से अब तक तीन सत्रों में निफ्टी 307 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 26,000 अंक के नीचे आ गया है। जबकि संसेक्स 1,045 अंक लुढ़का है। संसेक्स के शेयरों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रेट, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक,

आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस सबसे अधिक नुकसान में रहे। वहीं, लाभ में रहने वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील, इटनल, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। शेयर बाजार के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 4,171.75 करोड़ रुपये

अमृत विचार के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं

कार्यालय उप कृषि निदेशक बहराइच

**प्रिय कृषक भाईयों और बहनों,**  
जनपद बहराइच के सभी किसान भाइयों और बहनों को सूचित किया जाता है कि फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक जिले के 508600 किसानों में से 332676 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। यह योजना किसानों के लाभ के लिए है, जिससे आपको सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, और अनुदानों का लाभ आसानी से मिल सके। फार्मर रजिस्ट्री के लाभ सटीक पहचान आपकी भूमि और फसल का सही रिकार्ड दर्ज किया जाएगा। कृषि संबंधित सभी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। डिजिटल सुविधा की यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सब्सिडी, फसल बीमा, केसीसी, धान खरीद, और अन्य लाभ सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचेंगे। फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु कृषक भाइयों को अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन व नम्बर, भूमि रिकार्ड (खसरा, खतौनी की प्रति) के साथ अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते है। अधिक जानकारी के लिये कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों, अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के लेखपाल से सम्पर्क कर सकते है। सभी किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा लें। क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री नहीं करायें जाने से आप बीज, खाद, किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। उप कृषि निदेशक बहराइच ने जिले के किसानों से अनुरोध किया है कि कृपया पराली/फसल अवशेष न जलायें। पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इसका असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। सरकार द्वारा पराली जलाना प्रतिबन्धित किया गया है। पराली जलाये जाने पर 02 एकड़ तक रू0 5000/–, 02 से 5 एकड़ तक रू0 10000/– तथा 05 एकड़ से अधिक पराली जलाने पर रू0 30000/– अर्थदण्ड लगाये जाने का प्राविधान है। यदि कृषकों द्वारा पराली जलाई जाती है, तो सरकारी योजनाओं के लाभ वंचित किया जा सकता है। साथ ही गन्ना कृषक का सट्टा लाक कर दिया जायेगा। फसल अवशेष जलाये जाने से कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड आदि जहरीली गैसों तथा सूक्ष्मकणिका तत्व उत्पन्न होने से श्वास एवं त्वचा सम्बन्धी बीमारियां पैदा होती है जो मानव जीवन एवं पर्यावरण हेतु अत्यन्त ही हानिकारक होता है तथा मृदा में पाये जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते है, जिससे फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर कम्पोस्ट खाद बनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पराली को अपने नजदीकी गौशालाओं में दान कर पुण्य काम सकते है। सरकार एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा पराली जलाने वाले 56 किसानों पर 182500 अर्थ दण्ड लगाया गया है। अपील की जाती है कि कृपया पराली न जलायें अन्यथा सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ वंचित किये जा सकते है।







ओलंपिक में निराशा के बाद कड़ी मेहनत के लिए खुद को प्रेरित करना थोड़ा मुश्किल था । मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया, लेकिन वापसी पर भी मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था । मैं बहुत सी चीजों से निपट रहा था और फिट नहीं होने के बावजूद टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा कर रहा था ।

–लक्ष्य सेन, बैटमिंटन खिलाड़ी

### हार्डलाइट

### जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सुमित नागला

**चेंगडू** : भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चीन के मिगुडु झांग को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन एशिया पेसीफिक वाइल्ड कार्ड प्लेआफ के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया । छठी वरीयता प्राप्त नागल ने 2–6, 6–0, 6–2 से जीत दर्ज की । नवंबर 24 से 29 तक होने वाले इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के मुख्य ड्रॉ के लिए पुरुष और महिला एकल विजेता को वाइल्ड कार्ड मिलेंगे । नागल को शुरुआत में चीन का दीक्षा लेने में दिक्कत आई । उनका आवेदन खारिज होने के बाद उन्हें चीनी अधिकारियों से सार्वजनिक तौर पर अपील करनी पड़ी ।

### स्पेन, जापान को जूनियर हॉकी विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

**मद्रुरै** : दो बार की कांस्य पदक विजेता स्पेन को जूनियर विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन का यकीन है और उनके कोच ने कहा कि टीम पूरी तैयारी के साथ उतरी है । स्पेन और ऑस्ट्रिया की टीमें मंगलवार को यहां पहुंची जबकि जापान और चिली की टीमें चेन्नई पहुंची हैं । स्पेन के कोच ओरियोल पुइग टोरास ने हॉकी इंडिया की विज्ञप्ति में कहा कि हम काफी रोमांचित हैं और इतने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर गौरवान्वित भी । हमारी तैयारियां अच्छी चल रही है और मेरा मानना है कि हमारे पास शीर्ष स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम है । स्पेन ने 2003 कुआलालम्पुर जूनियर विश्व कप में भारत को हराकर कांस्य पदक जीता था । स्पेन को पुल डी में बेल्जियम, नामीबिया और मिस्र के साथ रखा गया है ।

### मंधाना के अकाउंट से शादी से पहले के पोस्ट गायब

**नई दिल्ली** : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुखल के साथ अपनी शादी से पहले के जर्न से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए हैं । उनके पिता के अस्पताल में भर्ती होने से मुख्य समारोह अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है । स्मृति और पलाश 23 नवंबर को महाराष्ट्र में इस क्रिकेटर के गृहनगर सांगली में शादी करने वाले थे । स्मृति के पिता के दिल की बीमारी से अस्पताल में भर्ती होने के बाद समारोह रोक दिया गया । हालांकि सगाई और दूसरे जर्न से पहले के वायरल सोशल मीडिया पोस्ट स्मृति के पेज से गायब होने के बाद इस जोड़ी 0अब उनके पेज पर नहीं दिख रहा जिसमें स्मृति भारतीय टीम की अपनी कुछ साथियों के साथ ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ के गाने ‘समझो हो ही गया’ पर नाच रही थीं ।

### साइकिलिस्ट मीनाक्षी ने विवि खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता

**जयपुर**। गुरु नानक देव विवि की साइकिलिस्ट मीनाक्षी रोहिल्ला ने मंगलवार को महिला व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में 2025 खेलो इंडिया विवि खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता । शिवाजी विवि की काजोल सरगर ने भारोत्तोलन के महिला 48 किग्रा वर्ग का स्वर्ण जीता जबकि लवली यूनिवर्सिटी की साक्षी ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक अपने नाम किया । साइकिलिंग ने पदार्पण किया है और रोड स्पर्धाओं में वापसी कर रही 2022 एशियाई खेलों की टीम परसुइट स्पर्धा की कांस्य पदक विजेता मीनाक्षी ने पहला स्वर्ण पदक जीता ।

# राष्ट्रमंडल खेल 2030 : भारत की मेजबानी पर मुहर लगने की उम्मीद

नई दिल्ली, एजेंसी

राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी हासिल करने को लेकर आश्रस्त भारत की बोली को बुधवार को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा में औपचारिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी, जो देश की वैश्विक बहु-खेल केंद्र बनने की महत्वाकांक्षी योजना में मील का पत्थर साबित होगा ।

भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था लेकिन 2030 में इन खेलों को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा जिसने पिछले एक दशक में अपने खेल ढांचे को नए स्तर तक पहुंचाया है । बुधवार की आम सभा में राष्ट्रमंडल खेल बोर्ड की सिफारिशों

# असंभव लक्ष्य के सामने लड़खड़ाया भारत

### दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में बड़ी हार का खतरा मंडराया , भारतीय टीम ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 27 रन बनाएं

गुवाहाटी, एजेंसी

जिस पिच की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल प्रवृत्ति का दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया ,उस पर भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में भी जूझते नजर आए। इससे उनकी टीम पर दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में बड़ी हार का खतरा मंडराने लग गया है। दो मैच की शृंखला में पहले ही पीछे चल रहे भारत ने 549 रन के लगभग असंभव लक्ष्य का पीछा करते हुए मंगलवार को चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 15.5 ओवर में दो विकेट पर 27 रन बनाए हैं और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसे अब 522 रन की जरूरत है।

दक्षिण अफ्रीका में इससे पहले अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की। उसका आकर्षण ट्रिस्टन स्टब्स की पारी रही। इस युवा बल्लेबाज ने 180 गेंद का सामना करके 94 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और एक छक्का शामिल है। उन्होंने टोनी डि जॉर्जी (68 गेंद पर 49) के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रन और वियान मुल्डर (69 गेंद पर नाबाद 35) के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत 201 रन ही बना पाया था। कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रन से जीतने के बाद शृंखला में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने रक्षात्मक रवैया अपनाया और अपनी पारी समाप्त घोषित करने में देर लगाई। भारत के सामने मैच बचाने की चुनौती है लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही तथा उसके दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (13) और केएल राहुल (06) दस ओवर और 21 रन के अंदर पवेलियन में विराजमान थे।

# हार्दिक की वापसी, आईपीएल से पहले खिलाड़ियों के पास चमकने का मौका

हैदराबाद, एजेंसी

चोट के बाद वापसी कर रहे हार्दिक पंड्या पर बुधवार से शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट में सभी की नजरें होंगी जबकि प्रतिभाशाली घरेलू क्रिकेटर आईपीएल की नीलामी से पहले अच्छा प्रदर्शन करके ध्यान खींचना चाहेंगे।

हार्दिक ने सितंबर में एशिया कप के दौरान चोट लगने के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। फरवरी मार्च में भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले हार्दिक सिर्फ टी-20 प्रारूप ही खेलेंगे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नौ दिसंबर से शुरू हो रही टी-20 शृंखला से पहले अपनी फिटनेस साबित करने का उनके पास यह टूर्नामेंट ही एक मौका है। टूर्नामेंट हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता और लखनऊ में खेला जायेगा। शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई टीम गत चैम्पियन के तौर पर उतरीगी। बड़ौदा की टीम आठ दिसंबर तक सात ग्रुप मैच खेलेंगी और मुख्य कोच मुकुंद परमार को पंड्या के अधिकांश मैचों में खेलने की उम्मीद है। परमार ने कहा कि



गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज के आउट होने के बाद जश्न मनाते दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ।

जायसवाल ने पहली पारी में छह विकेट लेने वाले मार्को यानसन की तेजी से उठती गेंद पर कट करने के प्रयास में विकेट के पीछे कैच दिया जबकि राहुल ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर की गेंद पर पूरी तरह से गच्चा खाकर बोल्ड हो गए। दिन का खेल समाप्त होने के समय साई सुदर्शन दो और नाइर्वॉचमैन कुलदीप यादव चार रन पर खेल रहे थे। पिच पर दरार पड़ गई हैं जिससे स्पिन गेंदबाजों को टर्न मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में अगर भारत हार्मर एंड कंपनी के सामने मैच बचाने में सफल रहता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय बल्लेबाजों के हाल के समय में स्पिनरों उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही तथा उसके दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (13) और केएल राहुल (06) दस ओवर और 21 रन के अंदर पवेलियन में विराजमान थे।

जडेजा ने 62 रन देकर चार विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया। डि जॉर्जी और स्टब्स ने मैच पर दक्षिण अफ्रीका की पकड़ और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। डि जॉर्जी ने चार चौके और एक छक्का लगाया। इन दोनों ने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कई स्वीप शॉट लगाए। जडेजा ने डि जॉर्जी को पगवाधा आउट करके उन्हें अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया। एक निश्चित समय के बाद भारतीय क्षेत्ररक्षकों के हाव भाव से लग रहा था कि वे दूसरे सत्र के समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद पारी घोषित होने की उम्मीद थी। दक्षिण

### भारत अजलन शाह कप हॉकी में बेल्जियम से 2-3 से हारा

**इपोह (मलेशिया)**।भारत ने मंगलवार को बारिश से प्रभावित सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के मैच में डटकर मुकाबला किया लेकिन आखिर में वह बेल्जियम से 2-3 से हार गया। भारत के लिए अभिषेक (33वें मिनट) और शिलानंद लाकड़ा (57वें) ने, जबकि बेल्जियम के लिए रोमन डुवेकोट (17वें और 57वें) और निकोलस डी केपेल (45वें) ने गोल किए। डिफेंडर संजय की अगुवाई में भारत ने छह टीमों की प्रतियोगिता में रविवार को तीन बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया के खिलाफ पहला मैच 1-0 से जीता था। बेल्जियम को मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद पहला पेनल्टी कॉनर मिला।

इसके बाद उसने जल्द ही दूसरा पेनल्टी कॉनर भी हासिल कर लिया। लेकिन दोनों अवसरों पर भारतीय रक्षापंक्ति ने डटकर मुकाबला किया और सुनिश्चित किया कि पहले क्वार्टर के अंत तक वे बराबरी पर रहें। भारतीय गोलकीपर पवन ने अच्छा खेल दिखाया लेकिन वह 17वें मिनट में रोमन डुवेकोट को गोल करने से नहीं रोक पाए जिससे बेल्जियम ने बढ़त जी। भारत ने दूसरे हाफ में गोल से स्कोर बराबर कर दिया।

अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेलटन (64 गेंदों पर 35 रन) और एडेन मारक्रम (84 गेंदों पर 29 रन) ने एक बार फिर अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन जडेजा ने दोनों को आउट कर दिया। रिकेलटन गेंद की पिच तक पहुंचने की कोशिश में बहुत करीब आ गए और कवर के ऊपर से लगाई गई उनकी ड्राइव को मोहम्मद सिरिज ने छलांग लगाकर कैच में बदल दिया। मारक्रम के लिए जडेजा ने थोड़ी धीमी गति की गेंद की जिसे बल्लेबाज ने आगे बढ़कर रक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद तेजी से घूमकर बल्ले का किनारा लेते हुए ऑफ-स्टंप पर जा लगी। वाशिंगटन ने इसके बाद बावुमा (03) को आउट किया, जिनकी उछाल लेती गेंद बल्लेबाज के दस्तानों को चूमकर लंग रिलप में खड़े नीतीश कुमार रेड्डी के सुरक्षित हाथों में चली गई।

अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेलटन (64 गेंदों पर 35 रन) और एडेन मारक्रम (84 गेंदों पर 29 रन) ने एक बार फिर अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन जडेजा ने दोनों को आउट कर दिया। रिकेलटन गेंद की पिच तक पहुंचने की कोशिश में बहुत करीब आ गए और कवर के ऊपर से लगाई गई उनकी ड्राइव को मोहम्मद सिरिज ने छलांग लगाकर कैच में बदल दिया। मारक्रम के लिए जडेजा ने थोड़ी धीमी गति की गेंद की जिसे बल्लेबाज ने आगे बढ़कर रक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद तेजी से घूमकर बल्ले का किनारा लेते हुए ऑफ-स्टंप पर जा लगी। वाशिंगटन ने इसके बाद बावुमा (03) को आउट किया, जिनकी उछाल लेती गेंद बल्लेबाज के दस्तानों को चूमकर लंग रिलप में खड़े नीतीश कुमार रेड्डी के सुरक्षित हाथों में चली गई।

### भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी कोच की गलती नहीं : रैना

**नई दिल्ली**।भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने आलोचनाओं से घिरे राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन करते हुए कहा है कि घरेलू टेस्ट मैचों में टीम के हालिया खराब प्रदर्शन के लिए सहयोगी स्टाफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खिलाड़ियों को नतीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर हारने के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा शृंखला में भी एक और निराशाजनक परिणाम की ओर बढ़ रहा है। दो मैचों की इस शृंखला का पहला मैच गंवाने के बाद भारत के पास अब दूसरे मैच को जीतने की संभावना बेहद कम है । रैना ने कहा कि गोती भैया ( गौतम गंभीर ) ने बहुत मेहनत की है और इसमें ( टेस्ट टीम की मौजूदा स्थिति ) उनकी कोई गलती नहीं है । खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छा खेला होगा ।

#### सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप

# भारतीय खिलाड़ियों की शानदार शुरुआत

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार** : सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड ट्र सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में मंगलवार को महिला व पुरुष युगल के मुख्य ड्रा के पहले दौर के मुकाबले खेलें गए। भारतीय खिलाड़ियों ने कई वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया।

शीर्ष वरीय भारतीय जोड़ी त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पिछली विजेता इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की चेंग सू हूई और तैन झिंग वाई की जोड़ी को 1 घंटे 14 मिनट चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 19–21, 22–20, 21–9 से हराया। पहला गेम बढ़त में रहने के बावजूद हारने के बाद त्रिशा–गायत्री ने शानदार वापसी करते हुए अगले दोनों गेम लगातार जीते। यह मुकाबला दिन के महिला युगल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से रहा।

पिछली उपविजेता व दूसरी वरीय जोड़ी साई प्रतीक के और पृथ्वी कृष्णामूर्ति राय ने भारत के ही स्वर्णराज बोरा व निबिर रंजन को



#### पुरुष युगल : भारतीय जोड़ियों का दबदबा

पांचवीं वरीय भारतीय जोड़ी एमआर अर्जुन व हरहिरन अम्साकरुनन ने भारत के आयुष मखीजा व सुजय तंबोली को 21–11, 21–13 से मात दी। चीनी ताइपे की चौथी वरीय जोड़ी ह्वांग जुई–शुआन व झी–वैई है ने भारत के शशांक छेत्री व नितिन कुमार को 21–19, 21–15 से हराया। भारत के विजय कुवले व विराज कुवले ने कड़े मुकाबले में अपने हमवतन आदित्य दिवाकर व केविन थंगम को 22–20, 16–21, 21–19 से हराया।

21–8, 21–17 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

यूपी की खिलाड़ी श्रुति मिश्रा अपनी समृद्धि सिंह और तनीषा सिंह पहले दौर में ही बाहर हो गईं।

चौथी वरीय यूक्रेन की पोलिना बुहोवा और येव्हेनिया कांतमिर

सिंह व रीवा को 21–8, 21–11 से हराया। हालांकि यूपी की अन्य जोड़ी

यूपी की खिलाड़ी श्रुति मिश्रा अपनी समृद्धि सिंह और तनीषा सिंह पहले दौर में ही बाहर हो गईं।

चौथी वरीय यूक्रेन की पोलिना बुहोवा और येव्हेनिया कांतमिर

### भारत

**27/2 (दूसरी पारी) (15.5 ओवर )**

■ यशस्वी का वरेन बो यानसेन 13

■ लोकेश राहुल बो हार्मर 06

■ साई सुदर्शन खेल रहे हैं 02

■ कुलदीप यादव खेल रहे हैं 04

गेंदलजी : यानसेन 5–2–14–1, मुल्डर 4–1–6–0, हार्मर 3.5–2–1–1, महाराज 3–1–5–0

### दक्षिण अफ्रीका

**260/5 (दूसरी पारी) (78.3 ओवर )**

■ रेयान का सिराज बो जडेजा 35

■ एडन मारक्रम बो जडेजा 29

■ ट्रिस्टन स्टब्स बो जडेजा 94

■ तेम्बा बावुमा का रेड्डी बो वाशिंगटन 03

■ टोनी डि जॉर्जी पगवाधा बो जडेजा 49

■ वियान मुल्डर नाबाद 35

**गेंदबाजी** : बुमराह 6–0–22–0, सिराज 5–1–19–0, जडेजा 28.3–3–62–4, कुलदीप 12–0–48–0, वाशिंगटन 22–2–67–1, जायसवाल 1–0–9–0, रेड्डी 4–0–24–0

## जायसवाल को कट शॉट से करना पड़े परहेज : स्टेन

गुवाहाटी। दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने यशस्वी जायसवाल को अपने शानदार कट शॉट को कुछ समय के लिए उसी तरह से छोड़ने की सलाह दी जैसे कि सचिन तेदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव शॉट का त्याग किया था। जायसवाल मंगलवार को दूसरे टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी में एक बार फिर से कट शॉट खेलने की कोशिश में मार्को यानसेन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे । गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर काइल वरेन के दस्तानों में चली गयी। स्टेन ने कहा कि यह उनका पसंदीदा शॉट है और इस तरह के शॉट से परहेज करना मुश्किल है । जब आप गेंद को अपने क्षेत्र में देखते हैं, तो आप उसे खेलने के लिए जाते हैं । उन्हें हालांकि इससे बचने की कोशिश करनी होगी ।

उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि सचिन ने एक बार ऑस्ट्रेलिया में अपने खेल से ड्राइव शॉट टाल दिया था । जायसवाल को यह भी कहना पड़ सकता है कि जब तक गेंद किसी खास क्षेत्र में न हो तो वह उसे खेले ही ना । ऐसी गेंदों पर उन्हें अपने रक्षात्मक खेल पर भरोसा करना होगा । भारत को जीत के लिए 549 रन के असंभव जैसे लक्ष्य का पीछा करते समय सलामी जोड़ी से मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी लेकिन जायसवाल उछाल लेती गेंद पर कट शॉट खेलने के लालच में विकेटकीपर काइल वरेन को कैच दे बैठे । स्टेन ने कहा कि वह दायें हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से इस शॉट को खेल लेते है लेकिन मार्को यानसेन जैसे बायें हाथ के तेज गेंदबाज की गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा शरीर के करीब होती है ।

### भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी कोच की गलती नहीं : रैना

**नई दिल्ली**।भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने आलोचनाओं से घिरे राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन करते हुए कहा है कि घरेलू टेस्ट मैचों में टीम के हालिया खराब प्रदर्शन के लिए सहयोगी स्टाफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खिलाड़ियों को नतीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर हारने के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा शृंखला में भी एक और निराशाजनक परिणाम की ओर बढ़ रहा है। दो मैचों की इस शृंखला का पहला मैच गंवाने के बाद भारत के पास अब दूसरे मैच को जीतने की संभावना बेहद कम है । रैना ने कहा कि गोती भैया ( गौतम गंभीर ) ने बहुत मेहनत की है और इसमें ( टेस्ट टीम की मौजूदा स्थिति ) उनकी कोई गलती नहीं है । खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छा खेला होगा ।



### क्वालीफायर के परिणाम

क्वालीफायर में कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य ड्रा में जगह पक्की की ।

**पुरुष एकल** : अभिनव ठाकुर, ऑलिव चालिहा,आर्य, भरत राघव,

**महिला एकल** : प्रकृति भारत, अदिता राव, अलीशा नायक, मिश्रित युगल : मिथिलेश पौ. कृष्णन व वरना, विशाखा टोप्पो व भव्य छाबड़ा, सी. लालमारासंगा व तारिनी सूरी, नितिन एचवी व श्रीनिधि नारायण

**पुरुष युगल** : भव्य छाबड़ा व परम चौधरी, मयंक राणा व आर्यन, अरिथ सुगा व गणेश, आयुष अग्रवाल व दक्ष गौतम ।

**महिला युगल** : आरती सारा सुनील व वी. विश्वनाथ, जेनिथ व लिखिता श्रीवास्तव, वीआर नाराधाना व ऋद्धिवंशी रामास्वामी ।

ने भारत की तनीषा सिंह व साक्षी हगलावत को 21–9, 21–19 से हराया। पुरुष युगल की तर्ज पर महिला युगल में भी कई मुकाबले एकतरफा रहे।

### डब्ल्यूपीएल में दीप्ति, गौड़, चरणी को मोटी राशि मिलने की उम्मीद

**नई दिल्ली** । लॉरा वोलावर्ट और भारत की विश्व कप में जीत की नायिका दीप्ति शर्मा सहित कई शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर गुरुवार को यहां महिला प्रीमियर लीग ( डब्ल्यूपीएल ) की नीलामी में आकर्षण का केंद्र होंगे, जबकि घरेलू खिलाड़ी क्रांति गौड़ और श्री चरणी को भी मोटी धनराशि मिलने की उम्मीद है। कुल 277 खिलाड़ी ( 194 भारतीय और 83 विदेशी ) पहली बार होने वाली इस मेगा नीलामी का हिस्सा होंगे । पांच टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी, जिनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे । कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जा सकते हैं । वनडे विश्व कप जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की भारी मांग होगी । टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा पर अच्छी बोली लगने की संभावना है । उन्हें विश्व कप फाइनल के तुरंत बाद यूपी वॉरियर्स ने रिलीज कर दिया था ।